

अध्ययन केन्द्र-संचालन निर्देशिका

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(उ.प्र. सरकार का एक मात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष 1999)



॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥



शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद- 211021

टोल फ्री नम्बर - 1800-120-111-333

www.uprtou.ac.in

कुलगीत

सदज्ञान तीर्थ पावन नगरी यही सुहाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

शिक्षा जगत पुरोधा आदर्श राष्ट्र—नायक ।
हिन्दी प्रबल समर्थक सद्भावना विधायक ॥
यह मुक्त पीठ अनुपम राजर्षि जिसकी थाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

संगम मनीषियों की चिन्तन धरा मनोहर ।
भगवान राम अपने दीक्षित हुए यहीं पर ॥
विज्ञान, धर्म, दर्शन के मंत्र को जगाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

गंगा, सरस्वती माँ, यमुना की वाग्धारा ।
स्वाध्याय, स्वावलम्बन, मंथन पुनीत नारा ॥
मंगलमयी उषा से सबका हृदय खिलाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

उत्तर प्रदेश व्यापी अध्ययन केन्द्र न्यारे ।
दूरस्थ ज्ञान पद्धति आधार हैं हमारे ॥
विद्या प्रसार माध्यम संचार तंत्र पाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

सत्कर्म, मुक्त चिंतन, आदर्श पथ चलें हम ।
ज्ञानी बनें, गुणी हों, मंजिल पहुँच के लें दम ॥
जीवन जगत समुज्ज्वल का सूत्र नित सिखाती ।
सबके लिए सुशिक्षा संकल्प शुभ सुनाती ॥

ગુજરાત રાજ્ય ટણ મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય, ઇલાહાબાદ

(ગુજરાત સરકાર કા એક માત્ર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય : સ્થાપના વર્ષ 1999)

અધ્યયન કેન્દ્ર સંચાલન નિર્દેશિકા



॥ સરસ્વતી નામાદિકરણ ॥

શાન્તિપુરમ् (સ્કેટર-એફ) ફાફામઊ, ઇલાહાબાદ- 211021

ટોલ ફ્રી નંબર-1800-120-111-333

**उ.प्र.राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद**

के

सूत्र वाक्य

“गुरुकुल से छात्रकुल”

“छात्र जहाँ, हम वहाँ”

“क्लीन कैम्पस, ग्रीन कैम्पस”

“चलो जलाएँ दीप वहाँ, जहाँ अभी भी अँधेरा है ”


“ मुक्त विश्वविद्यालय का है अभियान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान”

“सबका साथ सबका विकास”

माननीय श्री राम नाईक जी
राज्यपाल/कुलाधिपति



राजभवन,
उत्तर प्रदेश



माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति श्री राम नाईक जी

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा 'अध्ययन केन्द्र संचालन निर्देशिका' का प्रकाशन किया जा रहा है।

'अध्ययन केन्द्र संचालन निर्देशिका' के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(राम नाईक)

UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY REGIONAL CENTERS AND THEIR RELATED DISTRICTS



DISTRICTS

- 1 SAHARANPUR
2 MUZAFFARNAGAR
3 BHAGPAT
4 BUNOUR
5 MEERUT
6 AMROHA (JYOTI BAFILE NAGAR)
7 SHANLI
8 GHAZIABAD
9 NOIDA (GAUTAM BUDDHA NAGAR)
10 HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)
11 BULANDSHAHAR
12 ALIGARH
13 MATHURA
14 HARTHRAS
15 AGRA
16 FIROJABAD
17 EТАH
18 MAINPUR
19 KASGANJ
20 SAMBAL (BHIM NAGAR)
21 RAMPUR
22 BUDAUN
23 BARELLY
24 SHAHZAHANPUR
25 PILIBHIT
26 MORADABAD
27 KANNAUJ
28 ETAWAH
29 AURAYA
30 KANPUR DEHAT
31 KANPUR NAGAR
32 HAMIRPUR
33 UNNAO
34 FATEHPUR
35 FARUKHABAD
36 JHANSI
37 MAHOBIA
38 LALITPUR
39 JALAIN
40 CHITRAKOOT
41 KAUSHAMBHI
42 ALLAHABAD
43 PRATAPGARH
44 BANDA
45 HARDOI
46 SITAPUR
47 LUCKNOW
48 BARBANKI
49 RAE BARELI
- 50 BAHRAICH
51 SHRIVASTI
52 BALRAMPUR
53 KHERI
54 GONDA
55 FAIZABAD
56 AMBEDKAR NAGAR
57 SULTANPUR
58 AMETHI (C.S.J.NAGAR)
59 BASTI
60 SIDDHARTHNAGAR
61 MAHARAJGANJ
62 SANTAKABIR NAGAR
63 GORAKHPUR
64 AZAMGARH
65 MAU
66 DEORIA
67 KUSHINAGAR
68 JAUNPUR
69 SANT RAVIDAS NAGAR
70 VARANASI
71 GHAZIPUR
72 MIRZAPUR
73 CHANDAULI
74 SONBHANDA
75 RAE BARELI

INDEX

MEERUT	NOIDA(G.B.N.)	REGIONAL OFFICE
JHANSI	HEAD QUARTER	HEAD QUARTER
LUCKNOW	STATE BOUNDARY	STATE BOUNDARY
FAIZABAD	INTERNATIONAL BOUNDARY	INTERNATIONAL BOUNDARY
●	■	

प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह

कुलपति



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन

मुक्त विश्वविद्यालय

इलाहाबाद



कुलपति, प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह

संदेश

जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर-प्रदेश में उच्च शिक्षा से वर्चित परन्तु शैक्षिक नवाचारों की सम्भावनाओं से परिपूर्ण, प्रदेश की जनसंख्या को गुणात्मक शिक्षा के अवसर सर्वसुलभ एवं सर्वव्यापी बनाने के संकल्प से तीर्थराज प्रयाग में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 में की गई थी। समाज का ऐसा वर्ग जो अपनी रोजमर्रा की अपरिहार्य व्यस्तताओं के चलते नियमित कक्षाओं में नहीं जा सकता, उसके घर तक अध्ययन सामग्री पहुँचाना एवं आवश्यकतानुसार परामर्श देना तथा उनकी अन्तर्निहित क्षमता को प्रस्फुटित करना विश्वविद्यालय की शीर्ष प्राथमिकता है। अपनी स्थापना काल से लेकर वर्तमान भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के इस उपयोगितावादी युग में सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण के लक्ष्य को लेकर यह विश्वविद्यालय रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्प है।

सम्प्रति इस विश्वविद्यालय के ग्यारह क्षेत्रीय केन्द्र क्रमशः इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ, बरेली, आगरा, मेरठ, झाँसी, कानपुर एवं नोएडा संचालित हैं। लगभग 800 से अधिक संचालित अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या की सघनता एवं माँग को देखते

हुए कुछ अन्य नये क्षेत्रीय केन्द्र प्रारम्भ करने की योजना प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए, छात्रों के हित में एक टोल-फ्री नम्बर 1800-120-111-333 भी प्रारम्भ किया गया है।

विश्वविद्यालय में त्वरित गति से विकसित हो रही आधुनिक संचार प्रणाली का प्रयोग करते हुए 'वर्ष पर्यन्त प्रवेश' प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष में दो सत्रों जनवरी एवं जुलाई में ऑनलाइन प्रवेश लेने की व्यवस्था प्राविधानित है। शिक्षार्थी केन्द्रित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश, परामर्श, पाठ्यसामग्री, अधिन्यास, परीक्षा आदि विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को ऑनलाइन करके विश्वविद्यालय ने शिक्षा को शिक्षार्थी के द्वारा तक पहुँचाने में सफलता अर्जित की है। शिक्षार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट को फेसबुक, टिवटर और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया उपकरणों से सम्बद्ध कर दिया गया है। छात्रों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप को विकसित कर करते हुए तथा MOOCS, SWAYAM आदि के माध्यम से यह विश्वविद्यालय वर्चुअल शिक्षा के स्वर्ज को साकार करने की दिशा में शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय में संचार तकनीकी के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑडियो-विजुअल लैब के माध्यम से क्षेत्रीय केन्द्रों पर वीडियो कान्फ्रेसिंग तथा प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य भौगोलिक दूरी की बाधा को न्यूनतम करने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी संचार पद्धति का प्रयोग कर रहा है। विभिन्न विषयों में पाठ्य सामग्री के निर्माण, प्रकाशन एवं उसके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। शिक्षार्थियों तथा प्राध्यापकों की शोध के क्षेत्र में उन्नति और कैरियर संवर्धन हेतु विश्वविद्यालय में समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं व्याख्यान कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तर किया जाता है। वर्तमान समय में विकास की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की महत्ता एवं प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में 'दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ' स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में अटल बिहारी बाजपेई शोध पीठ पहले से ही स्थापित है।

दूरस्थ व मुक्त शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी सहायता सेवाओं की गम्भीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अध्ययन केन्द्रों तथा क्षेत्रीय केन्द्रों पर संचालित गतिविधियों के निरीक्षण और अनुश्रवण हेतु प्रभावी एवं ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारा प्रयास है कि हम शिक्षार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी जरूरतों को पहचानने और

तदनुरूप अपनी शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक अनुकूलतम बनाने की दिशा में कार्य कर सकें। उच्च शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों पर भौतिक संसाधनों और सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में भी विश्वविद्यालय निरन्तर प्रयत्नशील है। छात्रों की बढ़ती हुई माँग के आधार पर प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन कार्यक्रमों यथा सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, कृषि विज्ञान से सम्बन्धित रोजगारपरक डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र, जी.एस.टी. एवं वैदिक गणित में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम इसी सत्र से प्रारम्भ हो गया है। यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इस वर्ष यू.जी.सी. रेयूलेशन 2016 गाइडलाइन्स के अनुसार विश्वविद्यालय में पी.-एचडी कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ होने जा रहा है।

शिक्षा को सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हुए प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, राजर्षि टण्डन जयन्ती स्मृति व्याख्यानमाला, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यानमाला, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षक दिवस, हिन्दी दिवस और गाँधी जयन्ती पर विचार गोष्ठियों एवं व्याख्यान कार्यक्रमों के आयोजन की समृद्ध परम्परा है।

मैं इस अवसर पर अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा 'चरैवेति चरैवेति' को अपने जीवन में क्रियान्वित करने वाले एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमन् राम नाईक जी के प्रति श्रद्धा से अवनत हूँ, जिनका मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय के ऊर्ध्व मुखी विकास के लिए सहज प्राप्त है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एवं उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे सृजनात्मक कार्यों के प्रति साधुवाद देता हूँ।

मैं विश्वविद्यालय की प्रगति में निरन्तर योगदान करने वाले शिक्षाविदों, क्षेत्रीय निदेशकों तथा अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों, प्रचारों एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सम्मान एवं आभार ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय को प्रगति-सोपानों पर अग्रसर करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी सम्प्रांत नागरिकों को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय के केन्द्र बिन्दु तथा अध्ययन के प्रति निष्ठावान छात्र-छात्राओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में योगदान करने वाले पत्रकार बन्धुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

कामेश्वर नाथ सिंह
(प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह)
कुलपति

www.ugc.ac.in/deb



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
DISTANCE EDUCATION BUREAU
35-FEROZE SHAH ROAD
NEW DELHI-110 001

F. No. 1-9/2018 (DEB-I)

23rd February, 2018

PUBLIC NOTICE

The Government of India has envisaged a greater role for the Open and the Distance Education System. The envisioned role may be fulfilled by recognizing and treating the Degrees/Diplomas/Certificates awarded through distance mode at par with the corresponding awards of Degrees/Diplomas/Certificates obtained through the formal system of education. Open and Distance Education System in the country is contributing a lot in expansion of Higher Education and for achieving target of Gross Enrolment Ratio, without compromising on quality. Non recognition/non equivalence of degrees of Open and Distance Learning (ODL) institutions for the purpose of promotion/employment and pursuing higher education may prove a deterrent to many aspiring students and will ultimately defeat the purpose of Open and Distance Education.

Accordingly, the Degrees/Diplomas/Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by the erstwhile DEC/UGC, in conformity with UGC Notification on Specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degrees/Diploma/Certificate of the traditional Universities/Institutions in the country.

UGC has notified *UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017* in the official Gazette on **23/06/2017**. As per UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 under Part-I (2)(p), the programmes in engineering, medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy and such other programmes which require hands-on training are not permitted to be offered under Open and Distance Learning mode.

**(Prof. Rajnish Jain)
Secretary**

अनुक्रमणिका

<u>क्र.</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठांसंख्या</u>
1.	अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित सामान्य अनुदेश	10-12
2.	अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक / मापदण्ड एवं संचालित कार्यक्रम	13-26
3.	प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश	27-29
4.	प्रवेश परीक्षा पर आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी दिशा—निर्देश	30-37
5.	अधिन्यास सम्बन्धी दिशा—निर्देश	38-40
6.	परियोजना कार्य (Project Work) एवं लघु शोध (Dissertation)	41-43
7.	परामर्श कक्षाओं (Counselling Classes) के संचालन सम्बन्धी अनुदेश	44-45
8.	परीक्षा सम्बन्धी दिशा—निर्देश	46-50
9.	वित्त से सम्बन्धित अनुदेश	51-58
	परिशिष्ट	
	परिशिष्ट – I - अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	59-66
	परिशिष्ट – II - प्रयोगात्मक कार्यक्रम का विवरण	67
	परिशिष्ट – III - देयक पत्रक	68-69
	परिशिष्ट – IV - अधिन्यास प्राप्ति रसीद	70
	परिशिष्ट – V - कौन्सिलिंग व्यय का विवरण	71
	परिशिष्ट – VI – अधिन्यास पुस्तिका का बाह्य पृष्ठ प्रारूप	72

अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित सामान्य अनुदेश

(1) अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र की कार्यप्रणाली

प्रत्येक अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र पर एक केन्द्र समन्वयक होता है, जो उस केन्द्र के प्राचार्य के नियंत्रण में केन्द्र का संचालन करता है तथा पठन–पाठन, विचार–विनिमय, पुस्तकालय, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार करता है। समन्वयक द्वारा ही शिक्षार्थी को सूचना, मार्गदर्शन तथा अध्ययन से सम्बन्धित अन्य जानकारी समय–समय पर उपलब्ध कराई जाती है। समन्वयक द्वारा ही परामर्श सत्र एवं अन्य शैक्षिक क्रिया–कलापों की समय–सारणी घोषित की जाती है। प्रवेश के उपरान्त छात्रों को किसी भी सूचना के लिए अपने केन्द्र समवयक से सम्पर्क करना चाहिए। प्रदेश के प्रत्येक अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र पर पठन–पाठन एवं शिक्षार्थी–परामर्शदाता सम्पर्क की ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिससे सरकारी एवं गैरसरकारी पेशा वाले एवं अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति बिना किसी अवरोध के केन्द्र द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार परामर्श–सत्र / सम्पर्क–सत्र के माध्यम से पठन–पाठन कर सकें। परामर्श / सम्पर्क कार्यक्रम के सत्रों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुभवी एवं योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः शिक्षार्थी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परामर्श सत्रों का आयोजन अवकाश के दिनों में ही कराया जाता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा इलाहाबाद एवं लखनऊ आकाशवाणी केन्द्रों से प्रातः 2 घंटे की अवधि में ज्ञानवाणी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों

पर आधारित व्याख्यान प्रसारित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के 5 अध्ययन केन्द्रों – बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद शैक्षिक परिसर, लखनऊ एवं मुरादाबाद पर दूरस्थ शिक्षा परिषद के सौजन्य से डाउनलिंक की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी इग्नू द्वारा मनोनीत प्राध्यापक एवं अन्य विशिष्ट विद्वानों द्वारा दिये गए व्याख्यानों को अपने केन्द्र में टी0वी0 पर देखकर लाभान्वित हो रहे हैं।

(2) अध्ययन केन्द्र का आबंटन

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र बनाया गया है। शिक्षार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय अध्ययन केन्द्र का चयन करने में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस केन्द्र पर उनके द्वारा चयनित कार्यक्रम चल रहा हो, जिससे उन्हें उनके द्वारा चयनित केन्द्र आबंटित हो सके। यदि कोई शिक्षार्थी ऐसे केन्द्र का चयन करता है जहाँ पर उसके द्वारा चयनित कार्यक्रम अनुमत्य नहीं है तो उस शिक्षार्थी को अन्य केन्द्र पर जहाँ वह कार्यक्रम उपलब्ध है, बिना किसी पूर्व सूचना के स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और उसमें परिवर्तन निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त ही किया जा सकेगा। यदि किसी अध्ययन केन्द्र द्वारा अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है और ऐसी परिस्थितियों में यदि विश्वविद्यालय द्वारा वह केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो वहाँ पर नामांकित शिक्षार्थियों को निकटतम अध्ययन केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा बशर्ते उस केन्द्र पर जिन शिक्षार्थियों को स्थानान्तरित होना हो उनके द्वारा अध्ययन किए जा रहे कार्यक्रमों की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो अन्यथा की दशा में ऐसे केन्द्र जहाँ सम्बन्धित कार्यक्रम की मान्यता हो वहाँ स्थानान्तरित किया जायेगा। इसकी सूचना पत्र के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी अपितु विश्वविद्यालय की वेबसाइट के सूचना लिंक से स्वयं प्राप्त करनी होगी। अध्ययन केन्द्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश फार्म में अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख करेगा, अध्ययन केन्द्र कोड भी लिखेगा और उसी के अनुसार केन्द्र आबंटित

किया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से चयनित केन्द्र को आबंटित करना संभव नहीं हो पाता है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षार्थी के गृह जनपद के समीप का कोई अन्य केन्द्र, जहाँ पर शिक्षार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध है, आबंटित कर दे। इस प्रकार केन्द्र आबंटन की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सुविधा का यथासम्भव ध्यान रखा जायेगा। केन्द्र के आबंटन की सूचना शिक्षार्थी को भी दी जाती है।

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु अहं संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर आवेदन करना होगा। प्रपत्र में वांछित समस्त सूचनायें स्पष्टता के साथ अंकित करना आवश्यक है। संस्थाओं की अहता एवं कार्यक्रम अनुमन्यता के मानक/मापदण्ड अगले अध्याय में दिये गये हैं। स्पष्ट रूप से भरे गये आवेदन पत्र वांछित समस्त संलग्नकों/अभिलेखों सहित प्रभारी, अध्ययन केन्द्र प्रकोष्ठ, यू.पी. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से जमा कराये जायेंगे। पूर्व से स्थापित अध्ययन केन्द्रों पर अतिरिक्त कार्यक्रमों की अनुमन्यता हेतु संस्था के प्राचार्य द्वारा अलग से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वांछित प्रमाण संलग्न करते हुए आवेदन किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in को देखा जा सकता है।

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक/मापदण्ड एवं (Except B.Ed, B.Ed SE and PGPD Programs)

1. आवेदन—पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा भवन, कक्ष—कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व परामर्शदाताओं की सुलभ उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 15 शिक्षार्थी नामांकित करने के लिए वचनबद्ध होंगे।
2. मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के प्रयोग करने की अनुमति होगी जिसके लिए शिक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन—पत्र को निर्धारित प्रारूप (**संलग्नक—01**) पर प्राप्त किया जाय। इस प्रारूप में अध्ययन केन्द्र पर विद्यमान सुविधाओं का पूर्ण व स्पष्ट विवरण मांगा जाये।
4. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं से निम्न विवरणानुसार आवेदन शुल्क, जो वापस नहीं होगा, लिया जाये :—

(i)	सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं	नि: शुल्क
(ii)	स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं एवं विशेष उच्च शिक्षण संस्थान जो, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 तथा 1999 के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों तथा कारागार भोग रहे व्यक्तियों, डिफेन्स व सिक्योरिटी फोर्सेस सहित कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे अन्य व्यक्तियों के लिये कार्यरत हैं	रु. 3,000.00
(iii)	उपरोक्त बिन्दु (ii) के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता पर निरीक्षण शुल्क रु. 10,000/- सम्बन्धित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करना होगा।	

5. क्रमांक 4 के (ii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से रु. 20,000/- की वापसी योग्य जमानत राशि (Refundable Caution Money) अध्ययन केन्द्र के

अनुमोदन होने के बाद जमा कराई जाये। विश्वविद्यालय को देय आवेदन शुल्क आदि समस्त धनराशियाँ “वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद” के नाम से इलाहाबाद में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाय।

6. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक महाविद्यालय/संस्था में मूलभूत सुविधाओं में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का Covered Area वाला कार्यालय, कक्ष—कक्ष, पुस्तकालय व प्रयोगशाला की समुचित सुविधा होनी चाहिए।
7. अध्ययन केन्द्र स्वीकृत करने से पूर्व अथवा नये कार्यक्रम अनुमन्य करने से पूर्व जरूरत होने पर कुलपति द्वारा गठित समिति, संस्था का स्थलीय निरीक्षण करके अध्ययन केन्द्र प्रभारी व कुलसचिव के माध्यम से कुलपति जी को विस्तृत आख्या संलग्नक-2 में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगी जिस पर विचारोपरात्त अध्ययन केन्द्र व उसे आवंटित कार्यक्रमों की अनुमति दी जाय। निरीक्षण की स्थिति में निरीक्षण समिति के द्वारा आवेदन—पत्र में प्रस्तुत सभी सूचनाओं/क्रमांकों के सापेक्ष अपनी आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र (सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर) यदि अतिरिक्त कार्यक्रम हेतु आवेदन करते हैं तो उनसे अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क रु. 1,000/- प्रति आवेदन लिया जाय।
9. कोई भी अध्ययन केन्द्र अतिरिक्त विषय पर एक बार आवेदन करने और उस पर निर्णय होने के पश्चात् 6 माह बाद ही दूसरा आवेदन कर सकता है।
10. पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों या नये अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार शर्त पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है :—

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
परास्नातक कार्यक्रम		
1.	Master of Art (MA). Master of Science (M.Sc.) Master of Commerce. (M.Com)	<p>सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p>
2.	Master of Library and Information Science (MLIS).	<p>पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शासन द्वारा मान्यता।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 3 वर्ष तक BLIS या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p> <p>एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) MLIS उपाधित धारक न्यूनतम तीन अर्ह Guest Faculty. (iv) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच-पाँच प्रतियाँ अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
3.	Master of Journalism (MJ).	(v) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान आदि) में स्नातकोत्तर स्तर

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		<p>की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव</p>
4.	Master of Business Administration (MBA).	<p>वाणिज्य या प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक वाणिज्य या प्रबन्धन के स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।</p>
5.	Master of Computer Applications (MCA).	<p>कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड /इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v)</p>
स्नातक कार्यक्रम		

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
6.	Bachelor of Art (BA). Bachelor of Science (B.Sc.). Bachelor of Commerce (B.Com).	सम्बन्धित विषय / विषयों में शासन द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
7.	BA(TOURISM)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान।
8.	Bachelor of Library and Information Science (BLIS).	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राउ बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच-पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
9.	Bachelor of Business Administration (BBA)	वणिज्य अथवा प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
10.	Bachelor of Computer Application (BCA)	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		<p>के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड / इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम

किसी संस्था को P.G. Diploma कार्यक्रम (क्रम संख्या 11 से 28 तक) के संचालन के लिए मान्यता देने हेतु वहाँ सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम संचालन का अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।

11.	Post Graduate Diploma in Educational Administration (PGDEA), Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counseling (PGDVGCC)	शिक्षाशास्त्र।
12.	Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE) Post Graduate Diploma in Biostatistics and Population Studies (PGDBSPS) Post Graduate Diploma in Biostatistics and Demography (PGDBSD).	सभी विषय।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
13.	Post Graduate Diploma in Environment and Sustainable Development (PGDESD) Post Graduate Diploma in Remote Sensing and GIS (PGDRS)	कृषि विज्ञान या भूगोल या विज्ञान
14.	Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)	कम्प्यूटर विज्ञान।
15.	Post Graduate Diploma in Human Resource Development (PGDHRD) Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM) Post Graduate Diploma in Marketing Management (PGDMM) Post Graduate Diploma in International Marketing and E-Business (PGDIMB) Post Graduate Diploma in Production Management (PGDPM).	वाणिज्य या प्रबन्धन।
16.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC) Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication (PGDRJMC)	पत्रकारिता या हिन्दी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू।
17.	Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production (PGDEMM &	पत्रकारिता।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	FP)	
18.	Post Graduate Diploma in Translation (PGDT)	हिन्दी या अंग्रेजी।
19.	Post Graduate Diploma in Functional Hindi (PGDFH) Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi (PGDCWH)	हिन्दी।
20.	Post Graduate Diploma in Spiritual Tourism (PGDST)	ऐसे संस्था जहाँ स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर दर्शनशास्त्र, इतिहास, पर्यटन, संस्कृत एवं योग विषय की मान्यता प्राप्त हो।
21.	Post Graduate Diploma in Green Social Work (PGDGSW)	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कार्य या भूगोल।
22.	Post Graduate Diploma in Dietetics and Therapeutic Nutrition (PGDDTN) Post Graduate Diploma in Food Safety and Nutritional Quality Management (PGDFSQM)	सम्बन्धित विषय/विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि विज्ञान वर्ग के विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर स्तर अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक स्तर के कार्यक्रम चलाने का अनुभव। अथवा यू०पी०आर०टी०ओ०य०० एवं इग्नू अथवा किसी अन्य मुक्त विश्वविद्यालय से डी०सी०डी०एन०, डी०एच०ई०एन० अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
23.	Post Graduate Diploma in Hospital and Public Health Management (PGDHM)	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम चलाने का अनुभव साथ ही संस्थान

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
		का स्वयं का अथवा सौ बिस्तरों के बहुविशेषज्ञताओं वाले अस्पताल से MOU/अनुबन्ध लिया गया हो।
24.	Post Graduate Diploma in Agricultural Extension (PGDAE)	<p>मान्यता प्राप्त कृषि महाविद्यालय, कृषि उच्च अध्ययन एवं शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।</p>
25.	Post Graduate Diploma in Yoga (PGDYO)	<p>ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण-पत्र संचालन की मान्यता हो।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्ह प्राध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शपथ-पत्र के माध्यम से यह सूचना)।</p>

डिप्लोमा कार्यक्रम

26.	Diploma in Yoga (DYS)	<p>ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ योग में प्रमाण-पत्र संचालन की मान्यता हो।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान जहाँ Physical Education कार्यक्रम की मान्यता हो।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे संस्थान/अध्ययन केन्द्र जहाँ योग पढ़ाने वाले अर्ह प्राध्यापकों की उपलब्धता हो (संस्था से शपथ-पत्र के माध्यम से यह सूचना)।</p>
27.	Diploma in Dairy Technology (DDT)	कृषि अथवा जीव विज्ञान वर्गीय विषयों में मान्यता प्राप्त

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables (DVAPFV) Diploma in Watershed Management (DWM) Diploma in Agriculture (DAG) Diploma in Agri Business Management (DABM)	महाविद्यालय, कृषि क्षेत्र के उच्च अध्ययन एवं शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र।
28.	Diploma in Hospitality and Hotel Management (DHMM).	ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ पूर्व में Hotel Management सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित हो। अथवा ऐसे अध्ययन केन्द्र जिनके पास इस कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रायोगिक कार्य की सुविधा हो अथवा किसी Star Rating प्राप्त Hotel से MoU हस्ताक्षरित किया हो।
29.	Diploma in Vedic Maths (DVM), Diploma in Rural Development (DRD)	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
30.	Diploma in Early Childhood-care and Education (DECE), Diploma Course in Dietetics and Nutrition (DCDN), Diploma in Health Education and Nutrition (DHEN).	यदि संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc. या Food & Nutrition या Para Medical) या B.Ed. या B.Ed.(SE) या BA(Education) की मान्यता हो।
31.	Diploma in Home Arts (DHA), Diploma in Fashion	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) या Vocational की मान्यता हो।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	Designing (DFD) Diploma in Textile Designing (DTD), Diploma in Photography (DIP)	
32.	Diploma in Urdu (DIU), Diploma in Urdu Journalism and Mass Communication (DUJ & MC), Diploma in Urdu News Reading and Anchoring (DUNRNA).	संस्था को BA (उर्दू) की मान्यता हो।
33.	Diploma in Jewellery Designing (DJD), Diploma in Paper Craft (DPC).	संस्था को BA (Home Sc.) या B.Sc.(Home Sc.) की मान्यता हो।
34.	Diploma in Web Technology (DWT)	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
35.	Diploma in Applied Statistics and Computer (DASC)	संस्था को स्नातक स्तर पर गणित या सांखिकी की मान्यता हो।
प्रमाण—पत्र कार्यक्रम		
36.	Certificate in Environment Science (CES) Certificate in Applied Criminology (CAC) Certificate in Women Empowerment and Development (CWED) Certificate Course in Yoga (CCY) Certificate in Goods & Services Tax (CGST)	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	Certificate in Post Harvest Technology and Value Addition (CPHT&VA) Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants (CCMAP) Certificate in Livestock Production System (CLPS) Certificate Programme in Gardening (CPIG) Certificate in Organic Farming (COF) Certificate in Nutrition and Food (CNF) Certificate in Child Care and Nutrition (CCCN) Certificate in Rural Journalism and Mass Communication (CRJMC) Certificate in Human Rights (CHR) Certificate in Disaster Management (CDM) Certificate in Waste Water Treatment (CWWT) Certificate in Natural Resources and Sustainable Development (CNSD) Certificate in Applied Statistics and Computer (CASC) Certificate in Carpet and Textile Technology (CCTT)	

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	Certificate in Fashion Designing (CFD) Certificate in Textile Designing (CTD) Certificate in Vedic maths (CVM)	
37.	Certificate in Hospitality and Hotel Management (CHHM),	<p>ऐसे अध्ययन केन्द्र जहाँ पूर्व में Hotel Management सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित हो।</p> <p>अथवा ऐसे अध्ययन केन्द्र जिनके पास इस कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रायोगिक कार्य की सुविधा हो</p> <p>अथवा किसी Star Rating प्राप्त Hotel से MoU हस्ताक्षरित किया हो।</p>
38.	Certificate in Computer Course(CCC) Certificate Course in Web Designing and Development (CCWD) Certificate Course in Linux Administration (CCLA)	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।
39.	Certificate Course in Computer Animation (CCCA)	<p>संस्था को कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक स्तर पर कार्यक्रम की मान्यता हो एवं</p> <ol style="list-style-type: none"> न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। कार्यक्रम से सम्बन्धित साफ्टवेयर।
40.	Certificate in Forensic Science (CFS), Certificate Programme in Laboratory Techniques (CPLT)	संस्था को स्नातक में विज्ञान वर्ग के विषयों की संचालन की मान्यता हो।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
	Certificate in Printing Technology (CPT).	
जागरूकता कार्यक्रम		
41.	Awareness Programme in Child Nutrition and Food (APCNF) Awareness Programme in Child Care and Nutrition (APCCN) Awareness Programme in Yoga (APY) Awareness Programme in Panchayati Raj (APPR) Awareness Programme in Dairy, Farming (APDF)	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।

विशेष :—

- (i) B.Ed., B.Ed. (Special Education) व PGPD कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त UGC, DEC, एवं AICTE की Joint Committee द्वारा संस्तुत दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर अतिरिक्त मानकों का निर्धारण किया जायेगा।
- (iii) प्रसार कार्यक्रमों को Non-Credit कार्यक्रमों के रूप में संचालित किया जायेगा।
- (iv) मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में माझे कुलपति जी का अभिमत/निर्णय अंतिम होगा।
- (v) अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी शर्त विशेष में माझे कुलपति जी के अभिमत के अनुसार शिथिलता दी जा सकेगी।

3

प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा—निर्देश

- शिक्षार्थी आनलाइन प्रवेश आवेदन से सम्बन्धित सभी जानकारियाँ ई—सूचना विवरणिका से प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षार्थी सर्वप्रथम आनलाइन प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दिए गए आनलाइन प्रवेश लिंक के जरिए बैंक चालान को जनरेट करेंगे।
- आनलाइन प्रवेश आवेदन लिंक में शिक्षार्थी को निम्न जानकारियाँ उपलब्ध होगी –
 - (a) ई—सूचना विवरणिका।
 - (b) कार्यक्रम का विवरण।
 - (c) आनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया के लिए दिशा—निर्देश।
 - (d) आनलाइन प्रवेश के लिए ई—चालान जनरेशन लिंक।
 - (e) ई—मेल।
 - (f) हाईस्कूल अनुक्रमांक।
- आनलाइन ई—चालान (फार्म) में शिक्षार्थी विभिन्न सूचनाएँ को पूर्ण कर आनलाइन ई—चालान को जनरेट करके सर्वप्रथम उसके प्रिन्टआउट को निकालेंगे।
- आनलाइन ई—चालान तीन प्रतियों में होगा –
 - 1) बैंक कापी
 - 2) शिक्षार्थी कापी
 - 3) विश्वविद्यालय कापी
- शिक्षार्थी आनलाइन ई—चालान फार्म जनरेट करने के लिए 24 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा में जाकर कार्यक्रम शुल्क को जमा करेंगे।
- फीस जमा करने के 24 घण्टे बाद शिक्षार्थी आनलाइन प्रवेश आवेदन लिंक पर पुनः जाकर निम्न जानकारियों की प्रविष्टि कर अपना प्रवेश आवदेन फार्म जनरेट करेंगे।
 - (a) ई—चालान नम्बर
 - (b) बैंक जनरल नम्बर
 - (c) मोबाइल नम्बर

- शिक्षार्थी अपने फार्म का प्रिन्टआउट निकालकार निम्न कार्य करेंगे –
 - (a) फार्म में पूछी गई जानकारियों को फार्म में भरेंगे।
 - (b) सम्बन्धित स्थान पर पासपोर्ट आकार के फोटो को शिक्षार्थी स्वयं अपलोड करेंगे।
 - (c) हस्ताक्षर वाले स्थान पर शिक्षार्थी स्वयं हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे।
- शिक्षार्थी अपने अध्ययन के लिए चयनित अध्ययन केन्द्र पर निम्नानुसार अपना आवेदन जमा करेंगे–
 - (a) पूरित आवेदन फार्म।
 - (b) ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति।
 - (c) सम्बन्धित योग्यता प्रदायी शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति।
 - (d) एण्टी रैगिंग शपथ-पत्र की मूल प्रति।
- अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. से उसके प्रवेश सुनिश्चित होने की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
- अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश को कन्फर्म करते ही शिक्षार्थी की नामांकन संख्या जनरेट हो जाएगी। साथ ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से नामांकन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
- शिक्षार्थी अपनी नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लिंक पर प्रविष्टि करके अपने भरे हुए फार्म का प्रिन्टआउट निकाल सकेंगे।
- फार्म में त्रुटि होने पर शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए संशोधन लिंक में जाकर सही सूचना की प्रविष्टि कर सकते हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रवेश अनुभाग द्वारा ही शिक्षार्थी के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त संशोधन किया जाएगा।
- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के शिक्षार्थी अपना आनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय निर्धारित स्थान पर अपनी नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से भरें।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों के ऑन लाइन प्रवेश को उनकी उपस्थिति में ही कन्फर्म करेंगे।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक यह आश्वस्त हो लें कि ऑन लाइन प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी जिस कार्यक्रम में वह प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए

पूर्णतया अहं है। अनर्ह शिक्षार्थी का प्रवेश कदाचित् न करे। अनर्ह शिक्षार्थी के प्रवेश को ऑन लाइन प्रवेश को सुनिश्चित करने की दशा में इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र समन्वयक, प्राचार्य एवं स्वयं शिक्षार्थी की होगी और उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जायेगा।

- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थी के ऑन लाइन प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् उसके ई-फार्म के प्रिण्ट आउट के साथ उसकी योग्यता प्रदायी सभी अंकतालिकाएं एवं उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति एवं एण्टी रैगिंग शपथ फार्म के प्रिण्ट आउट की छाया प्रति को एक साथ संलग्न करते हुए अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के पश्चात् अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।
- प्रवेश के उपरान्त परिचय-पत्र को समन्वयक तथा प्राचार्य संयुक्त हस्ताक्षर से शिक्षार्थियों को निर्गत करेंगे।
- इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी यदि किसी अन्य कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसे शिक्षार्थियों को भी अहंता सम्बन्धी सभी अंकतालिकाएं प्रवेश के समय ऑन लाइन प्रवेश आवेदन फार्म के प्रिन्ट आउट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण अंकतालिका पर प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थी का भी प्रवेश अपूर्ण अंकतालिका पर स्वीकार नहीं होगा।

4

प्रवेश परीक्षा पर आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी दिशा—निर्देश

प्रवेश परीक्षा पर आधारित MBA, MCA हेतु सामान्य निर्देश—

- MBA एवं MCA कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
- प्रवेश परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों का प्रवेश—पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर प्रेषित किया जाएगा।
- प्रवेश परीक्षा का शुल्क 750/-रु. मात्र (सभी वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए) 'वित्त अधिकारी' उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम ई—चालान के माध्यम से देय होगा।
- अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई—चालान फार्म डाउनलोड कर एवं इसे पूरी तरह भरकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं।

(a) एम.बी.ए. (MBA) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश – प्रवेश पद्धति

एम.बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों द्वारा सफलता प्राप्त करने (प्रवेश परीक्षा न्यूनतम 40% प्राप्तांक) के आधार पर किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in से एम.बी.ए. प्रवेश के लिंक में जाकर निम्नानुसार ऑन लाइन आवेदन करना होगा –

1. अर्ह अभ्यर्थियों को सवप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम एवं श्रेणी (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) आदि वाचित सूचनाएं अपलोड करनी होंगी।
2. वाचित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को ऑन—लाइन निर्धारित बैंक का ई—चालान प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा।

3. प्राप्त ई—चालान के माध्यम से अभ्यर्थियों को इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक एवं पंजाब नेशनल में निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 750/- जमा कर बैंक द्वारा ई—चालान में प्रदत्त यूनिक नम्बर के साथ बैंक चालान की प्रतियों को बैंक से प्राप्त करना होगा।
4. ई—चालान के यूनिक नं० की सहायता से अभ्यर्थी को पुनः उसी लिंक में जाकर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को जनरेट कर आन—लाइन वांछित सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना रंगीन फोटो हस्ताक्षर एवं स्नातक अंक तालिका (अन्तिम वर्ष एवं अनुभव प्रमाण—पत्र स्नातक 50% से कम अंक होने पर) स्कैन करके प्रविष्ट करना होगा। पूर्ण सूचनाओं से युक्त आवेदन पत्र की हॉर्डकापी के साथ प्रवेश शुल्क जमा के ई—चालान की विश्वविद्यालय प्रति संलग्न कर केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की हार्डकापी बैंक चालान की मूल प्रति सहित निम्न पते पर भेजना है—

परीक्षा नियंत्रक (एम.बी.ए.—एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा)

**उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम सेक्टर—एफ, फाफामऊ, इलाहाबाद—२११०२१**

शुल्क— प्रवेश परीक्षा शुल्क, प्रवेश परामर्श शुल्क, कार्यक्रम शुल्क आदि का विवरण लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।

नोट— जनवरी सत्र में प्रवेश के लिए विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक एवं जुलाई सत्र के प्रवेश के लिए जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के सभी मान्यता प्राप्त केन्द्रों पर जहाँ MBA कार्यक्रमों की मान्यता होगी, वहाँ प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना होगा।

Master in Business Administration (MBA)

Programme Code : 702

Programme Duration : Min :

2 Yrs. Max: 4 Yrs

Medium of Instruction: English (Though the Exam. may be given in English or Hindi Medium Both)

Eligibility for Admission: Graduation in any Discipline with 50% Marks (45% Marks for the SC/ST Candidates) Or Three years Managerial / Supervisory or Working Experience after completing Graduation in any Discipline.

Admission Procedure: The Admission to MBA Programme can be taken through Entrance Test (**MBA-MCA Entrance Test-July 2018**) only, held twice every year i.e. **January Session** (The proposed Date of Entrance test is sometimes in January) and in the **July Session** (The Proposed Date of Entrance Test is sometimes in August)

Programme Fee: Rs. 16,000/- per annum (including examination fee for one year)

Assignment: Essential and to be submitted for every paper in its respective semester before the semester exam as per exam schedule declared by the university.

Specialization: The Specialization is offered through papers in four streams viz. Marketing, Finance, Production and Human Resource Development offered in the third semester.

For further details please visit website: www.uprtou.ac.in

(B) एम.सी.ए. (MCA) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

प्रवेश पद्धति

एम.सी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों द्वारा सफलता प्राप्त करने (प्रवेश परीक्षा न्यूनतम 40% प्राप्तांक) के आधार पर किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की बेबसाइट www.uprtou.ac.in से एम.सी.ए–एम.बी.ए. प्रवेश के लिंक में जाकर निम्नानुसार ऑन लाइन आवेदन करना होगा—

1. अर्ह अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की बेबसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम एवं श्रेणी (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदि वांछित सूचनाएं अपलोड करनी होगी।

2. वांछित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को ऑन-लाइन निर्धारित बैंक का ई-चालान प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा।
3. प्राप्त ई-चालान के माध्यम से अभ्यर्थियों को इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक में निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 750/- जमा कर बैंक द्वारा ई-चालान में प्रदत्त यूनिक नम्बर के साथ बैंक चालान की प्रतियों को बैंक से प्राप्त करना होगा।
4. ई-चालान के यूनिक नं0 की सहायता से अभ्यर्थी को पुनः उसी लिंक में जाकर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को जनरेट कर आन-लाइन वांछित सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके प्रविष्ट करना होगा। पूर्ण सूचनाओं से युक्त आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रवेश शुल्क जमा के ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति संलग्न कर केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की हार्डकापी बैंक चालान की मूल प्रति सहित निम्न पते पर भेजना है—

परीक्षा नियंत्रक (एम.बी.ए.-एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा जुलाई 2018)

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम सेक्टर-एफ, फाफामऊ, इलाहाबाद-211021

शुल्क

प्रवेश परीक्षा शुल्क, प्रवेश परामर्श शुल्क, कार्यक्रम शुल्क आदि का विवरण लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।

नोट— जनवरी सत्र में प्रवेश के लिए विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह तक एवं जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध कर दी जाएगी।

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के सभी मान्यता प्राप्त केन्द्रों पर जहाँ एम.सी.ए. कार्यक्रम की मान्यता होगी, वहाँ प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना होगा।

Master of Computer Application (MCA)

Programme: 703

Programme duration (In Yrs): Minimum: 3 Maximum: 6

Medium of Instruction: English

Eligibility for Admission: 3 Year Bachelor Degree in any Discipline with Maths at 10+2 or months Computer Course

Admission Procedure: The Admission to MCA programme can be taken through Entrance Test which is to be held twice every year (January Session and July Session)

Lateral Entry Admission: The candidates who have passed PGDCA from UPRTOU, Allahabad may apply for Lateral Entry into the III (3rd) semester provided that they have qualified Entrance Test as per the instructions given in the brochure and on the university website (www.uprtou.ac.in).

Programme Fee per Year: Rs 15000/-

Assignment Work: Essential

(C) बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा)कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

(i) बी.एड. कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	कुल स्थान	कार्यक्रम क्रेडिट	अवधि	माध्यम	कार्यक्रम शुल्क
बी0एड0 (B.Ed. ODL)	500	112	न्यूनतम–02 वर्ष अधिकतम–05 वर्ष	हिन्दी	16000/- प्रति वर्ष

1. इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है

- (अ) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक।
- (ब) परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode) से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी।

2. बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अहं होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों— हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तथा वाणिज्य।

नोट – अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक सम्बन्धित विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रवेश पद्धति

बी0एड0 कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in से बी0एड0 प्रवेश के लिंक में जाकर निम्नानुसार आनलाइन आवेदन करना होगा –

1. अहं अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम एवं श्रेणी (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) आदि वांछित सूचनाएं अपलोड करनी होगी।
2. वांछित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को ऑन-लाइन निर्धारित बैंक का ई-चालान प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा।
3. प्राप्त ई-चालान के माध्यम से अभ्यर्थियों को इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा कर बैंक द्वारा ई-चालान में प्रदत्त यूनिक नम्बर के साथ बैंक चालान की प्रतियों को बैंक से प्राप्त करना होगा।
4. ई-चालान के यूनिक नं0 की सहायता से अभ्यर्थी को पुनः उसी लिंक में जाकर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को जनरेट कर आन-लाइन वांछित सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके प्रविष्ट करना होगा। पूर्ण सूचनाओं से युक्त आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रवेश शुल्क जमा के ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति संलग्न कर

केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की हार्डकापी बैंक चालान की मूल प्रति सहित निम्न पते पर भेजना है—

परीक्षा नियंत्रक (बी.एड. प्रवेश परीक्षा)
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम सेक्टर-एफ, फाफामऊ, इलाहाबाद-211021

(ii) बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	कुल स्थान	कार्यक्रम क्रेडिट	अवधि	माध्यम	कार्यक्रम शुल्क
बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) (B.Ed. ODL)	440	80	न्यूनतम—02 वर्ष 06 माह अधिकतम—05 वर्ष	हिन्दी	प्रथम वर्ष—12000/- द्वितीय वर्ष—12000/- अन्तिम सेमेस्टर—6000/-

प्रवेश पात्रता

- इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने –
 - पचास प्रतिशत (50%) अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो या इसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री प्राप्त की हो
- बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों— हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तथा वाणिज्य।

नोट – अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक सम्बन्धित विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रवेश पद्धति

बी०ए८० (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in से बी०ए८० (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश के लिंक में जाकर निम्नानुसार आवेदन करना होगा –

1. अर्ह अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की बेवसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम एवं श्रेणी (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदि वांछित सूचनाएं अपलोड करनी होगी।
2. वांछित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को ऑन-लाइन निर्धारित बैंक का ई-चालान प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा।
3. प्राप्त ई-चालान के माध्यम से अभ्यर्थियों को इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा कर बैंक द्वारा ई-चालान में प्रदत्त यूनिक नम्बर के साथ बैंक चालान की प्रतियों को बैंक से प्राप्त करना होगा।
4. ई-चालान के यूनिक नं० की सहायता से अभ्यर्थी को पुनः उसी लिंक में जाकर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को जनरेट कर आन-लाइन वांछित सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके प्रविष्ट करना होगा। पूर्ण सूचनाओं से युक्त आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रवेश शुल्क जमा के ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति संलग्न कर केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की हार्डकापी बैंक चालान की मूल प्रति सहित निम्न पते पर भेजना है—

परीक्षा नियंत्रक (बी.ए८. प्रवेश परीक्षा)
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम सेक्टर-एफ, फाकामऊ, इलाहाबाद-२११०२१

अधिन्यास सम्बन्धी दिशा-निर्देश

अधिन्यास कार्य

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.जी.. डिप्लोमा कार्यक्रमों में अधिन्यास कार्य अनिवार्य है। जबकि डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों में अधिन्यास कार्य आवश्यक नहीं है। नॉन क्रोडिट जागरूकता कार्यक्रमों में अधिन्यास कार्य को परीक्षा का आधार बनाया जाता है।

अधिन्यास सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

(अ) शिक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश

- (i) विश्वविद्यालय नियमानुसार यदि कोई शिक्षार्थी सम्बन्धित सत्र की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा के सापेक्ष अपना अधिन्यास/प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित अवधि तक अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा नहीं करता है, तो उसे सम्बन्धित प्रश्नपत्र की होने वाली सेमेस्टर/वार्षिक लिखित तथा मौखिक परीक्षा में बैठने का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
- (ii) अधिन्यास जमा करते समय प्रत्येक शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र समन्वयक की हस्ताक्षर युक्त अधिन्यास जमा करने की प्राप्ति रसीद (**RECEIVING SLIP**) अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। रसीद पर दिनांक तथा जमा की गयी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण होगा। भविष्य में अधिन्यास सम्बन्धी सन्दर्भ देने के लिए इसे सुरक्षित रखें।
- (iii) प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर जुलाई सत्र/जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर/जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों हेतु **31 अक्टूबर/31 मार्च** तक अधिन्यास जमा होंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात् जमा की गयी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की कोई जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी।
- (iv) अधिन्यास उत्तर पुस्तिका पर परीक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों के performance के आधार पर उनके पृष्ठ पोषण feedback हेतु टिप्पणी अनिवार्य रूप से लिखी जायेगी। इसके लिए निम्न कोडों का प्रयोग किया जायेगा :

Letter Grade	Grade Point	% Range
O (Outstanding)	10	90+
A+ (Excellent) सर्वोत्तम	9	80+
A (Very Good) बहुत अच्छा	8	70+
B+ (Good) अच्छा	7	60+
B (Above Average) सराहनीय	6	50+
C (Average) लेखन शैली सुधारें	5	40+
P (Pass) बिन्दुवार लिखें	4	36+

- (v) शिक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय को सीधे प्रेषित अधिन्यास पुस्तिका किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। शिक्षार्थी अधिन्यास—पुस्तिका अपने अध्ययन केन्द्र पर ही जमा करें।
- (vi) शिक्षार्थी की सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यक्रमों के अधिन्यास प्रश्न पत्र को आन लाइन कर दिया गया है। शिक्षार्थी अपने से सम्बन्धित प्रश्न—पत्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
- (vii) छात्र अपना अधिन्यास स्वहस्तलिखित (Self Handwriting) प्रस्तुत करेगा। टंकण (Type) किया हुआ अधिन्यास मान्य नहीं होगा।
- (viii) अधिन्यास लिखने हेतु विश्वविद्यालय ने एक उत्तर पुस्तिका का निर्धारण किया है, जिसे शिक्षार्थी को अपने अध्ययन केन्द्र समन्वयक से प्राप्त करना चाहिए।
- (ix) एक अधिन्यास प्रश्न—पत्र के सभी उत्तर लेखन हेतु यथासम्भव एक ही उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाना है।
- (x) सत्रांत परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ अपने अध्ययन केन्द्र समन्वयक से अवश्य प्राप्त कर लें। इस पुस्तिका पर परीक्षक द्वारा लिखी गई टिप्पणी सत्रांत परीक्षा में सटीक उत्तर लिखने में मार्ग दर्शक का कार्य करेगी।

(ब) अध्ययन केन्द्र समन्वयकों के लिये दिशा निर्देश :

- (i) अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों को निर्देशित करेंगे कि अधिन्यास कार्य के उत्तर लिखने के पूर्व उत्तर पुस्तिका पर सम्बन्धित प्रश्न को अनिवार्य रूप से लिखें। प्रश्न न लिखने की दशा में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं कराया जायेगा।
- (ii) अधिन्यास अध्ययन केन्द्र पर ही जमा किए जायेंगे तथा इनका मूल्यांकन समबन्धित अध्ययन केन्द्र पर ही कराया जाये और मूल्यांकित अधिन्यास कापी छात्रों को वापस की जाय। अधिन्यास अंक अध्ययन केन्द्र द्वारा आन लाइन व हार्ड कापी के रूप विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय।
- (iii) कार्य परिषद ने यह भी निर्ण लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन हेतु अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षाओं को ले रहे प्राध्यापकों की सूची परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों से प्राप्त किया जाय एवं इन प्राध्यापकों का अनुमोदन माननीय कुलपति जी से प्राप्त कर लिया जाय व यही प्राध्यापक अधिन्यास उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु अर्ह माने जायेंगे। इसके साथ ही अधिन्यास उत्तर पुस्तिका में 75 प्रतिशत से अधिक अंक देने पर उनकी उत्तर पुस्तिका मुख्यालय पर मंगायी जा सकती है।
- (iv) अधिन्यास जमा करते समय प्रत्येक शिक्षार्थी को अध्ययन केन्द्र समन्वयक द्वारा हस्ताक्षर युक्त अधिन्यास जमा करने की प्राप्ति रसीद (RECEIVING SLIP) अवश्य प्रदान की जाये। इस रसीद पर दिनांक तथा जमा की गयी अधिन्यास

उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण उपलब्ध हो। इस रसीद का प्रारूप इस संचालन निर्देशिका के पृष्ठ में उपलब्ध है।

- (v) प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर जुलाई सत्र के प्रथम, तृतीय, पंचम/जनवरी सत्र के द्वितीय/चतुर्थ/पछ सेमेस्टर/जनवरी सत्र के वार्षिक कार्यक्रमों के अधिन्यास 31 अक्टूबर तक तथा इसी प्रकार जनवरी सत्र के प्रथम/तृतीय/पंचम/जुलाई सत्र के द्वितीय/चतुर्थ/पछ सेमेस्टर/जुलाई सत्र के वार्षिक कार्यक्रमों के अधिन्यास 31 मार्च तक जमा होंगे। अन्तिम तिथि के पश्चात् छात्रों से किसी भी दशा में अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाएँ स्वीकार न की जायें। अगर ऐसा किया जाता है तो यह विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी केन्द्र समन्वयक की होगी।
- (vi) अध्ययन केन्द्रों के समन्वयक 7 नवम्बर/7 अप्रैल तक सभी अधिन्यास पुस्तिकाएँ एवं उनके केन्द्र पर विभिन्न कार्यक्रमों के परामर्श सत्र ले रहे प्राध्यापकों के पूर्ण विवरण (जैसे – नाम, पद, अनुभव, पता एवं मोबाइल नम्बर आदि) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को डेटाबेस तैयार करने के लिए उपलब्ध करा देंगे। मूल्यांकनकर्ता आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बन्धित केन्द्र का परामर्शदाता होना चाहिए।
- (vii) अध्ययन केन्द्र समन्वयकों का यह दायित्व होगा कि वे क्षेत्रीय केन्द्रों से मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त अधिन्यास पुस्तिकाओं पर शिक्षार्थियों के PERFORMANCE के आधार पर दिए गए FEEDBACK से छात्रों को अवगत कराएँगे।
- (x) समन्वयक महोदय विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में उल्लेखित अधिन्यास/प्रोजेक्ट कार्य से सम्बन्धित समस्त अन्य निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना कार्य (Project Work) एवं लघु शोध (Dissertation)

जिन कार्यक्रम में प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित हैं, उसकी व्यवस्था निर्धारित अध्ययन केन्द्रों पर की गयी है। प्रोजेक्ट कार्य का विषय छात्र द्वारा निर्देशक (सुपरवाइजर) की सहमति से इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि प्रत्येक छात्र का प्रोजेक्ट विषय भिन्न-भिन्न रहे क्योंकि इसमें सामूहिकता का कोई प्रावधान नहीं है। निर्देशक का चयन निर्धारित मानकों के अनुसार समन्वयक की सहमति से किया जायेगा। परियोजना कार्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार हैं—

1. विश्वविद्यालय नियमानुसार यदि कोई छात्र अपना प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित अवधि में अपने अध्ययन केन्द्र में जमा नहीं करता है, तब उसके प्रोजेक्ट सम्बन्धी होने वाली मौखिक परीक्षा/बाह्य मूल्यांकन का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा तथा परीक्षा प्रतिबन्धित कर दी जायेगी। ऐसे छात्रों को मौखिक परीक्षा/बाह्य मूल्यांकन हेतु पुनः परीक्षा फार्म भरना पड़ेगां वर्तमान में यह शुल्क 400रु. प्रति कार्यक्रम (प्रति प्रोजेक्ट) है।
2. प्रत्येक छात्र द्वारा चयनित परियोजना कार्य का विषय तथा निर्देशक (सुपरवाइजर) का नाम, पद, कार्यरत संस्था का नाम तथा पता सत्र प्रारम्भ होने के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
3. प्रोजेक्ट कार्य का विषय वास्तविक जीवन की समस्याओं से सम्बन्धित होना चाहिए।
4. प्रोजेक्ट कार्य की रिपोर्ट यथोचित चार्ट, रेखांचित्रों आदि से युक्त होनी चाहिए। विस्तार की दृष्टि से यह A-4 आकार में मुद्रित/हस्त लिखित कम से कम 25 पृष्ठ (न्यूनतम 5000 शब्द) का अवश्य हों।
5. प्रत्येक प्रोजेक्ट का के प्रारम्भ में शिक्षार्थी तथा निर्देशक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए तथा निर्देशक द्वारा मौलिक कार्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
6. शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य को पाँच प्रतियों में तैयार करवाना होगा। चार प्रतियों अध्ययन केन्द्र पर जमा करनी होगी और एक प्रति शिक्षार्थी अपने पास सुरक्षित रखेगा।
7. प्रोजेक्ट कार्य के निर्देशक (सुपरवाइजर) हेतु अनिवार्य अर्हता, सम्बन्धित विषय में परास्नातक उपाधि है। निर्देशक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे उस

विषय में पर्याप्त अनुभव हो और वह किसी योग्य पद पर कार्यरत हो अथवा अवकाश प्राप्त हों।

8. एक निर्देशक एक सत्र में अधिकतम 10 व कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यक्रम में अधिकतम 05 शिक्षार्थियों को निर्देशित कर सकता है।

9. प्रोजेक्ट काय मूल्यांकन 100 अंकों में होगा। इनमें आन्तरिक मूल्यांकन 30 प्रतिशत अंकों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निर्देशक द्वारा किया जायेगा तथा समन्वयक इन अंकों को निर्धारित तिथि के अन्तर्गत अधिनयास प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवायेंगे।

इसी प्रकार 70 प्रतिशत अंक बाह्य मूल्यांकन हेतु निर्धारित किये गये हैं, बाह्य मूल्यांकन हेतु कुछ प्रोजेक्ट के साथ मौखिक परीक्षा की व्यवस्था है जिसका कार्यक्रम परीक्षा विभाग द्वारा घोषित किया जाता है कि तथा जिन प्रोजेक्ट में बाह्य मूल्यांकन के रूप में मौखिक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट समन्वयक द्वारा निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय को मूल्यांकन हेतु भेज देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात् भेजे गये परियोजना कार्य स्वीकार नहीं कर्ये जायेंगे।

10. प्रोजेक्ट कार्य जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के शिक्षार्थियों के लिए जमा करने की अन्तिम तिथि **30 नवम्बर** एवं जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के वार्षिक आधार पर संचालित कार्यक्रमों हेतु जमा करने के लिए **30 अप्रैल** निर्धारित की गई है।

11. प्रोजेक्ट कार्य में मार्गदर्शन हेतु परामर्श सत्रों का प्रावधान नहीं है।

12. विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट निर्देशन (व आन्तरिक मूल्यांकन) के पारिश्रमिक की अनुमोदित दरें निम्नवत् हैं—

कार्यक्रम	प्रोजेक्ट निर्देशन व आन्तरिक मूल्यांकन		बाह्य मूल्यांकन
	8 क्रेडिट	4 क्रेडिट	
कम्प्यूटर के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यक्रम	100 रु. प्रति प्रोजेक्ट	50 रु. प्रति प्रोजेक्ट	50 रु. प्रति प्रोजेक्ट

13. एम० बी० ए० एवं अन्य विषयों की परियोजना हेतु प्रथम पृष्ठ का प्रारूप निम्नानुसार है।

(Title)



2018-19

Submitted for the partial fulfillment of Master of Business

Administration Programme of

U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad

Guided by

Name

Designation

.....

Organization

.....

Submitted by

Name

.....

Enrollment

No.

.....

14. The probable contents of the cover page as well as the probable contents and format of the project will be as follows:

- a) Cover Page
- b) Certificate from the guide and/or certificate from the concerned organization.
- c) Acknowledgment
- d) Preface
- e) Introduction
- f) Research Methodology (with detailed Chapters)
- g) Analysis and Interpreneurship
- h) Conclusions and Suggestions
- i) Bibliography

परामर्श कक्षाओं (Counselling Classes) के संचालन सम्बन्धी अनुदेश

काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक

1. सामन्य पाठ्यक्रमों/प्रश्नपत्रों के आठ क्रेडिट के कोर्स में 09 से 12, क्रेडिट के कोर्स में 06 से 09, चार क्रेडिट के कोर्स में 04 से 05 सम्पर्क कक्षाएँ (सत्र) आयोजित होंगी।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें केवल 50 प्रतिशत काउन्सिलिंग कराने की व्यवस्था की जायेगी और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 1 से 4 है तो 25 प्रतिशत परामर्श कक्षाएँ चलाई जायेंगी।
3. प्रमाण-पत्र कार्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य है, को छोड़कर शेष प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों में कोई काउन्सिलिंग न करायी जाए।
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से सम्बन्धित BLIS-04 एवं BLIS-05 तथा MLIS-07 एवं MLIS-08 के प्रयोगात्मक कार्यों के परामर्श सत्रों की संख्या निम्नवत होगी—

क्रम सं०	क्रेडिट	अनुमन्य परामर्श सत्रों की संख्या
1	4	5 के स्थान पर 7 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित
2	6	9 के स्थान पर 12 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित
3	8	1 के स्थान पर 15 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित

5. सम्बन्धित विषयों में परामर्श सत्रों में परामर्शदाता का कार्य तथा प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य का निर्देशन/पर्यवेक्षण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न योग्यताओं के अनुसार कराया जाय :—

परामर्श कक्षाओं के संचालन के लिए सामान्य कार्यक्रम एवं प्रोफेशनल कार्यक्रमों (जैसे— कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्रबन्धन, पुस्तकालय विज्ञान, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि जहाँ UGC के साथ-साथ AICTE/ICAR/ICMR आदि के नियम भी लागू होते हैं) में परामर्शदाताओं की योग्यता वरीयता क्रम में निम्नवत होगी :—

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सम्बन्धित विषय में नियमित रूप से कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।

अथवा

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में अस्थाई/संविदा/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो व नेट/पीएच.डी हो। AICTE/ICAR/ ICMR आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों/विषयों में इन नियामक संस्थाओं के नियम लागू होंगे। सामान्य रूप से स्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हो।

अथवा

- यथा संभव परामर्शदाता उसी संस्था का शिक्षक/परामर्शदाता होना चाहिए। अनुपलब्धता की दशा में आस—पास स्थित अन्य विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थाओं में कार्यरत उपरोक्त योग्यताधारकों से भी वाह्य परामर्शदाताओं के रूप में सहयोग लिया जा सकता है।

परीक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देश

परीक्षाओं के आयोजन एवं मूल्यांकन हेतु सामान्य अनुदेश निम्न प्रकार से हैः—

1. परीक्षार्थी को अलग से परीक्षा फार्म नहीं भरना है। प्रवेश फार्म भरते समय स्पष्ट रूप से उन पाठ्यक्रमों का उल्लेख करें जिन्हें नियमानुसार बैठने की पात्रता हो। वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का शीर्षक और कोड नं० स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
2. परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति पर आधारित है।
3. शिक्षार्थी को अपने अध्ययन अवधि (न्यूनतम या अधिकतम) में परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु निर्धारित क्रेडिट को पूर्ण करना होता है।
4. सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कार्यक्रम को छोड़कर सभी कार्यक्रमों में परीक्षा के निमित्त सत्रीय कार्य करने होते हैं जिसका अंक उसके अंक तालिका में अंकित किया जाता है।
5. प्रत्येक बैक प्रश्न पत्र हेतु शिक्षार्थी को परीक्षा फार्म विषयवार (चयनित विषय पूर्ण शीर्षक के साथ) भरना अनिवार्य है। पूर्णरूपेण भरे बैक परीक्षा फार्म निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथि तक विश्वविद्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण बैक परीक्षा फार्म एवं बिना शुल्क के जमा बैक फार्म को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे शिक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाता है।
6. बैक परीक्षा फार्म की अन्तिम तिथि जुलाई सत्र के प्रथम सेमेस्टर, जनवरी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर व जनवरी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों हेतु 31 अक्टूबर एवं जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर तथा जुलाई सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों व जनवरी सत्र के प्रथम सेमेस्टर हेतु 31 मार्च निर्धारित की गई जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को 10 नवम्बर एवं 10 अप्रैल तक प्राप्त हो जाने चाहिए।

सत्रान्त परीक्षा की लिखित एवं प्रयोगात्मक तिथि की घोषणा विश्वविद्यालय वेबसाइट द्वारा की जायेगी। छात्र इसी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम भी डाउनलोड कर सकेंगे।

- नोट :**
1. शिक्षार्थी द्वारा प्रवेश आवेदन पत्र में जिन विषय/प्रश्न पत्रों का चयन किया गया है उसे उसी विषय/प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
 2. शिक्षार्थी द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश लेते समय अपने प्रथम वर्ष की विवरणिका के अनुसार ही विषय/पेपर का चयन करना सुनिश्चित करें।
 7. अध्ययन केन्द्रों को प्रत्येक कार्यक्रम में अलग—अलग सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या प्रवेश सत्र, चयनित प्रश्न पत्र (पुराना/नया कोर्स), प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की कुल संख्या (पुराना/नया कोर्स) के अनुसार विश्वविद्यालय को समय के अन्दर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिससे प्रश्न पत्र निर्माण में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रारूप निम्नवति है –

कार्यक्रम कोड (UGA/BLIS/PGJMC/PGDJMC.....)

क्र.सं.	सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या	प्रवेश सत्र	चयनित प्रश्न पत्र	प्रश्नपत्र में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की कुल संख्या	योग
			पुराना नया कोर्स कोर्स	पुराना कोर्स नया कोर्स	

8. विश्वविद्यालय की त्रिस्तरीय मूल्यांकन विधि –

शिक्षार्थियों को मूल्यांकन हेतु सामान्यतः त्रिस्तरीय मूल्यांकन विधि अपनाई गई है।

- (i) स्व:मूल्यांकन, शिक्षार्थी स्वयं करता है। (परीक्षा में कोई अधिभार नहीं)
- (ii) सत्रीय कार्य (अधिन्यास), परीक्षा में 30 प्रतिशत का अधिभार दिया जाता है।
- (iii) सत्रान्त परीक्षा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।
9. जिन कार्यक्रमों में प्रयोगात्म कार्य निर्धारित है उनकी व्यवस्था निर्धारित केन्द्रों पर की जाती है। प्रयोगात्मक कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षार्थी परीक्षा के पूर्व प्रयोगात्मक कार्य पूरा नहीं करता तो

उसे अगली परीक्षा के प्रयोगात्मक कार्य के लिए निर्धारित शुल्क अलग से जमा करना पड़ेगा।

अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त किए जाने वाले आन्तरिक अधिन्यास/प्रोजेक्ट अंक

Internal Assignment/Project marks required from study centers

Programme कार्यक्रम	अधिन्यास / प्रोजेक्ट अंक
All Under Graduate Programmes (8 Credits)	30
All Under Graduate Programmes (4. Credits)	15
All Post Graduate Programmes	30
All Post Graduate Diploma Programmes	30
M.B.A – 6.3	30+70 =100
M.C.A – 6.1	180
M.J.M.C – 07	50
M.A.E.D – 09 (Project)	30 (Project कार्य की तीन प्रति मुख्यालय भेजें)
B.Sc. Lab. Work	No Internal marks Required
BCA P1, P2, P3, BCA-21, MLIS-08	No Internal marks Required

सभी प्रमाण पत्र कार्यक्रम एवं अन्डर ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिन्यास नहीं है सभी सर्टिफिकेट कार्यक्रम एवं स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रोजेक्ट का प्रावधान होने पर प्रोजेक्ट के अंक भेजना आवश्यक है। जागरूकता कार्यक्रमों में अधिन्यास कार्य अनिवार्य है।

केन्द्राध्यक्ष के लिए निर्देश

परीक्षा : दिसम्बर / जून

(क) केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / कक्ष परिप्रेक्षक / पंजिकाएं

- प्रत्येक केन्द्र पर एक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होंगे जो पूर्णतः परीक्षा के गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं उसके सफल संचालन केलिए उत्तरदायी होंगे।

2. प्रत्येक पाली की परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष निम्नानुसार अनुमत्य होंगे :-
 - (i) 250 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर ... 1
 - (ii) 251–500 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर ... 2
 - (iii) 501–750 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर ... 3
 - (iv) 750–1000 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर ... 4
 - (v) 1000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर ... 5
3. प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो परिप्रेक्ष्य अवश्य हों। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि परीक्षा कार्य में बड़े कमरों का अधिकतम प्रयोग हो जिससे कम से कम परिप्रेक्षकों की आवश्यकता पड़े और यह भी ध्यान रहे कि कुल कक्ष परिप्रेक्षकों एवं कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात $1/20$ का ही रहे परन्तु किसी भी पाली में दो से कम कक्ष परिप्रेक्षक न हों।
4. परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने वाले केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कक्ष परिप्रेक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर से परिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

(ख) परीक्षा केन्द्र पर अन्तिम दिवस की परीक्षा समाप्त हो जाने पर

1. सम्पूर्ण परीक्षा समाप्त होने पर बचे हुए प्रश्न–पत्र, प्रश्न–पत्रों के लिफाफे, प्रपत्र तथा अन्य परीक्षा सामग्रियाँ डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किये जायें।
2. जाँच–पत्र प–4, प–6, प–7 प्रपत्र एवं शेष सादी उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति पर क्रमबद्ध करके विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यालय को एक हपते के अन्दर अनिवार्य रूप से अवश्य भेजा जाय। इसके अभाव में परीक्षाफल प्रकाशन बाधित होगा एवं परीक्षा देयक का भुगतान पारित करना सम्भव नहीं होगा।
3. कन्टिजेन्ट व्यय का बिल प्रपत्र–5 पर सभी रसीदों के साथी परीक्षा समाप्त हो जाने पर भेजें। इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक मद पर कम से कम व्यय हो। प्रत्येक व्यय का मूल भुगतान वाउचर संलग्न होना आवश्यक है। प्रपत्र–8 एवं 9 में केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष परिप्रेक्षकों आदि से सम्बन्धित सभी मूल देयक परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से भेजें।

4. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजें।
5. सम्पूर्ण परीक्षा के उपरान्त बची हुई उत्तर पुस्तिकाओं को प्रपत्र प-2 में अंकित करते हुए विश्वविद्यालय को वापस किया जाना है।
6. परीक्षा के सफल एवं समुचित संचालन में जिला प्रशासन/पुलिस की सहायता प्राप्त करें।
7. वास्तविक कन्टिजेन्ट व्यय अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत व्यक्तियों को निम्नलिखित दर से पारिश्रमिक अनुमन्य होगा :-

(1) केन्द्राध्यक्ष	— रु0 105/- प्रति पाली
(2) सहायक केन्द्राध्यक्ष	— रु0 100/- प्रति पाली
(3) कक्ष परिप्रेक्षक	— रु0 90/- प्रति पाली
(4) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन में लगाये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के लिए देय	— रु0 8/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी अथवा न्यूनतम रु0 800/- एवं अधिकतम रु0 15000/-
(5) वाटर मैन	— रु0 15/- प्रति पाली
(6) स्वच्छता कर्मी	— रु0 15/- प्रति पाली
(7) जनरेटर	— रु0 500/- प्रति दिन

वित्त से सम्बन्धित अनुदेश

अध्ययन केन्द्रों के लिए सामान्यतया निम्न प्रकार के व्ययों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जाती है –

- (i) प्राचार्य, समन्वयक एवं कार्यालय कर्मचारियों के लिए मानदेय
- (ii) अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहां कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था आदि, स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 100 देय है।
- (iii) परन्तु 1000 शिक्षार्थियों की संख्या के उपरान्त प्रवेशित प्रति 100 शिक्षार्थियों पर रु. 2500 की प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- (iv) अधिन्यास मूल्यांकन पारिश्रमिक
- (v) परामर्शदाता का मानदेय
- (vi) प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक कार्य व्यय तथा पारिश्रमिक
- (vii) परीक्षा से सम्बन्धित व्यय

(1) अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय

- (i) ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 49 तक हो तथा शुल्क से आय रु 50,000/- से 1,00,000/- तक हो एवं ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 15 से 29 तक हो तथा शुल्क से आय रु. 1,00,000/- से अधिक हो :

क्र. सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	350.00	850.00	1200.00
2	समन्वयक	450.00	1650.00	2100.00
3	कार्यालय सहायक	700.00	700.00
4	कार्यालय परिचर	600.00	600.00

(ii) ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 30 से 49 तक हो तथा शुल्क से आय ₹0 1,00,000/- से अधिक हो एवं ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 50 से 200 तक हो:

क्र. सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	450.00	950.00	1400.00
2	समन्वयक	700.00	1850.00	2550.00
3	कार्यालय सहायक	900.00	900.00
4	कार्यालय परिचर	700.00	700.00
5	स्वच्छता कर्मचारी	700.00	700.00

(iii) ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 201 से 500 तक हो :

क्र. सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	450.00	1050.00	1500.00
2	समन्वयक	800.00	2100.00	2900.00
3	सहायक समन्वयक	450.00	1050.00	1500.00
4	कार्यालय सहायक (दो)	900.00 प्रति	900.00 प्रति
5	कार्यालय परिचर (दो)	700.00 प्रति	700.00 प्रति
6	स्वच्छता कर्मचारी	700.00	700.00

(iv) ऐसे केन्द्र जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक हो :

क्र. सं.	पदनाम	मार्ग व्यय	पारिश्रमिक	योग
1	प्राचार्य	550.00	1150.00	1700.00
2	समन्वयक	1000.00	2500.00	3500.00
3	सहायक समन्वयक	550.00	1150.00	1700.00
4	कार्यालय सहायक (दो)	950.00 प्रति	950.00 प्रति
5	कार्यालय परिचर (दो)	800.00 प्रति	800.00 प्रति
6	स्वच्छता कर्मचारी	800.00	800.00

(3) अधिन्यास मूल्यांकन पारिश्रमिक

अधिन्यास मूल्यांकन पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित प्रोफार्मा पर बिल प्राप्त होने पर धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। अधिन्यास से सम्बन्धित मानदेय का

भुगतान प्रति अधिन्यास स्नातक स्तर तक रु. 18/- प्रति तथा परास्नातक रु. 23/- प्रति अधिन्यास की दर से किया जाता है। अधिन्यास मूल्यांकन पारिश्रमिक का देयक मूल्यांकन के तत्काल उपरान्त विश्वविद्यालय में प्राप्त कराया जाना आवश्यक है।

(4) परामर्शदाताओं (Counsellors) के मानदेय

(i) सामान्य कार्यक्रमों हेतु

क्र.सं.	कार्यक्रम	मानदेय प्रति काउन्सिलिंग (2 घण्टे की)	मार्ग व्यय
1	स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व व्यवसायिक कार्यक्रम (कम्प्यूटर कार्यक्रम को छोड़कर)	200.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)
2	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	300.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)
3	एम.बी.ए.	500.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)

(ii) कम्प्यूटर कार्यक्रमों हेतु

क्र.सं.	कार्यक्रम	मानदेय प्रति काउन्सिलिंग (2 घण्टे की)	मार्ग व्यय
1	सी.सी.सी., डी.आई. सी. एवं बी.सी.ए.	300.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)
2	पी.जी.डी.सी.ए.	350.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)
3	एम.सी.ए.	500.00	रु. 35.00 (प्रति दिवस)

B.Ed तथा B.Ed. SE के लिए निम्नवत् नियमानुसार शैक्षणिक क्रियाकलाप व भुगतान निम्नवत होगे—

(क) शैक्षणिक क्रिया कलाप

क्र.सं.	विवरण	B.Ed	B.Ed. SE
1.	प्रति सेवान्तरिक प्रश्नपत्र /सम्पर्क कार्यक्रम की अवधि	25 घण्टा	25 घण्टा

2.	प्रति प्रयोगात्मक प्रश्नपत्र परामर्श सत्र / सम्पर्क कार्यक्रम की अवधि	—	50 घण्टा B.Ed. SE —91,92,93,94,95,96
3.	कार्यशाला आधारित प्रयोगात्मक कार्य	84 घण्टा B.Ed —31	—
4.	विद्यालय आधारित प्रयोगात्मक कार्य	16 घण्टा	—
5.	अभ्यास शिक्षण	20+20=40 पाठ B.Ed.-32	20+20=40 पाठ B.Ed.SE-95,96

नोट :— परामर्श /सम्पर्क शिक्षण में एक कक्षा में अधिकतम 50 छात्र होंगे।

(ख) भुगतान दरें

क्र. सं.	विवरण	B.Ed	B.Ed. SE
1.	समन्वयक—1	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप
2.	सहायक समन्वयक—1	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	—
3.	तृतीय श्रेणी कर्मी —1	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार
4.	चतुर्थ श्रेणी —1	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार
5.	स्वच्छता कर्मी —1	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	विश्वविद्यालय मानकों के अनुसार
6.	परामर्श सत्र / सम्पर्क कार्यक्रम	रु.200 /—प्रति घण्टा	रु.200 /—प्रति घण्टा
7.	अभ्यास शिक्षण	रु.50 /—प्रतिपाठ (Menter द्वारा पर्यवेक्षण)	रु.50 /—प्रतिपाठ (Menter द्वारा पर्यवेक्षण)
		रु.50 /—प्रतिपाठ (Teacher Educator द्वारा पर्यवेक्षण)	रु.50 /—प्रतिपाठ (Teacher Educator/Special Educator द्वारा पर्यवेक्षण)
		यात्राभत्ता रु.100 /— प्रतिदिन अधिकतम 10 दिन प्रति Teacher Educator/Special Educator	
8.	विद्यालय आधारित प्रयोग	रु.50 /—प्रति छात्र सम्पूर्ण कार्य हेतु
9.	कार्यशाला आधारित	1. Resource Person –

	प्रयोग	Rs.400/- per day 2. Workshop Incharge- Rs.1000/- per workshop 3. Contingency - Rs.3000/- per workshop
10.	विविध आकारिक व्यय	रु.50/-प्रति छात्र प्रति वर्ष	रु.50/-प्रति छात्र प्रति वर्ष
11.	प्रयोगात्मक कार्य के लिए विविध/ आकारिक व्यय(उपभोज्य सामग्री सहित)		रु.200/-प्रति छात्र प्रति वर्ष
12.	अभ्यास शिक्षण व प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयनित माध्यमिक विद्यालय को भुगतान	रु.50/-प्रति छात्र सम्पूर्ण कार्य हेतु	रु.50/-प्रति छात्र सम्पूर्ण कार्य हेतु
13.	अधिन्यास मूल्यांकन	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप	विश्वविद्यालय मानकों के अनुरूप
14.	अभ्यास शिक्षण व प्रायोगिक परीक्षा के दौरान सहयोगियों हेतु भुगतान (कक्ष निरीक्षक सहित व जलपान सहित)	रु.50/-प्रति छात्र	रु.50/-प्रति छात्र

काउन्सिलिंग के संबंध में निम्न का अनुपालन आवश्यक है—

- (i) काउन्सिलिंग का प्रत्येक सत्र दो घंटे का होगा।
- (ii) सामान्य पाठ्यक्रमों / प्रश्नपत्रों के आठ क्रेडिट के कोर्स में 09 से 12, छह क्रेडिट के कोर्स में 06 से 09, चार क्रेडिट के कोर्स में 04 से 05 सम्पर्क कक्षाएँ (सत्र) आयोजित होंगी।
- (iii) ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें केवल 50 प्रतिशत की काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जायेगी और यदि शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 04 है तो 25 प्रतिशत परामर्श कक्षाएं चलाई जायेगी। 1 से कम छात्र संख्या होने पर कोई काउन्सिलिंग न कराई जाये। प्रमाण पत्र कार्यक्रम जिनमें प्रायोगात्मक कार्य अनिवार्य है, को छोड़कर शेष प्रमाण—पत्र कार्यक्रमों में कोई काउन्सिलिंग न कराई जाये।
- (iv) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित BLIS-03 (P) एवं BLIS-04 (P) तथा MLIS-07 एवं MLIS-08 प्रयोगात्मक कार्यों के परामर्श सत्रों की संख्या निम्नवत् होगी—

क्र.सं.	क्रेडिट	अनुमन्य परामर्श सत्रों की संख्या
1.	4	5 के स्थान पर 7 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित
2.	6	9 के स्थान पर 12 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित
3.	8	12 के स्थान पर 15 सैद्धान्तिक परामर्श सत्रों सहित

(5) कम्प्यूटर एवं विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य की दरें आदि—

(i) कम्प्यूटर कार्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र)

वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
	रु. 550/- प्रति छात्र प्रति वर्ष (Hiring charges for terminals, MRO Infra-structure facilities etc.)

(ii) बी.एस.सी./एम.एस.सी. अनुमन्य दर

1. प्रयोगशाला सहायक—रु. 90/- प्रति वर्ष एवं प्रति बैच
(बैच सामान्यतः 25 छात्रों का होगा)
2. प्रयोगशाला परिचर—रु. 60/- प्रति वर्ष एवं प्रति बैच
(जो सामान्यतः 25 छात्रों का होगा)
3. प्रयोगशाला चार्ज—रु. 120/- प्रति वर्ष जिसमें बिजली, पानी गैस उपकरण आदि सम्मिलित हैं।

उपभोज्य वस्तु पर अनुमन्य व्यय

1. रसायन शास्त्र — रु. 650/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
2. वनस्पति विज्ञान — रु. 450/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
3. प्राणि विज्ञान — रु. 450/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
4. भौतिकी — रु. 250/- प्रति छात्र प्रति वर्ष
5. प्रत्येक प्रायोगिक कार्य में वास्तविक रूप से उपस्थिति छात्रों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
प्रयोगात्मक/प्रायोगिक बिल निर्धारित प्रोफार्मा प्रपत्र-II पर प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

(6) परीक्षा से सम्बन्धित व्यय

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए परीक्षा संचालन पारिश्रमिक की दरें निम्नवत् निर्धारित हैं –

क्रमांक	मद	दर (रुपये में)
1	2	3
1.	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक (क) कक्ष निरीक्षक (ख) सहायक केन्द्राध्यक्ष (ग) केन्द्राध्यक्ष	90.00 प्रति पाली 100.00 प्रति पाली 105.00 प्रति पाली
2.	केन्द्र व्यय (सेन्टर चार्ज)	8/- प्रति परीक्षार्थी न्यूनतम रु.800
	(क) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	तथा अधिकतम रु.15000/-
	(ख) वाटर मैन	रु. 15/- प्रति पाली
	(ग) सफाई कर्मी	रु. 15/- प्रति पाली
3.	प्रायोगिक परीक्षा	
	(क) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	23.00
	(ख) प्रयोगशाला परिचर	15.00
4.	उड़नदस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक	
	(क) प्रति सदस्य (प्रतिदिन आंतरिक)	90.00
	(ख) प्रति सदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	90.00 तथा वि.वि. के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय
5.	प्रायोगिक परीक्षा	
	(क) स्नातक / बी.एड. (प्रति छात्र) (न्यूनतम में)	12.00 450.00
	(ख) स्नातकोत्तर (प्रति छात्र) (न्यूनतम में)	18.00 600.00
6.	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	60.00

देयकों के भुगतान हेतु कक्ष निरीक्षक का पावना पत्र प्रपत्र – VIII पर केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष का पावना पत्र प्रपत्र – ix पर, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सहायक तथा प्रयोगशाला परिचर का पावना पत्र – VIII A आन्तरिक उड़ान दस्ते का पावना प्रपत्र – VIII B प्रायोगिक परीक्षा का पावना पत्र – 2 तथा परीक्षा सम्बन्धी आकस्मिक विविध व्यय का पावना प्रपत्र – 5 पर प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

विभिन्न भुगतानों/देयकों के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बिन्दु –

1. प्रत्येक प्रकार का देयक निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत किया जायेगा।
2. देयक प्रपत्र में अपेक्षित समस्त सूचनाएँ दी जानी आवश्यक हैं।
3. देयक प्रपत्र में ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं होनी चाहिए।
4. जिन देयकों के सम्बन्ध में मूल प्रमाणक अथवा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य अपेक्षित हैं उसे संलग्न करना आवश्यक है।
5. सामग्रियों के क्रय सम्बन्धी बिलों पर सामग्री की स्टाफ रजिस्टर में प्रविष्टि का प्रमाण पत्र अंकित होना चाहिए।
6. प्रत्येक देयक का सत्यापन सक्षम स्तर से आवश्यक है।
7. देयकों के प्रपत्र पर मुहर सहित सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
8. काउन्सिलिंग के बिल के साथ काउन्सिलिंग के पूर्व जारी समय–सारिणी का संलग्न किया जाना आवश्यक है।
9. परामर्श सत्र में उपस्थित छात्र की उपस्थित पत्रक।
10. परामर्शदाता का PAN, Banker detail (A/C, Bank Branch Name, IFSC Code)
11. काउन्सिलिंग निर्धारित मानक के अनुसार ही होना चाहिए।
12. प्रत्येक प्रकार का देयक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
किसी भी दशा में देयक विलम्ब से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
13. विश्वविद्यालय द्वारा जारी चेक लिस्ट सम्बन्धित देयक (अधिन्यास, काउन्सिलिंग एवं परीक्षा) के साथ अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
14. किसी भी दावे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत चेक के माध्यम से ही किया जायेगा, अस्तु भुगतान प्राप्तकर्ता का केन्द्र/बैंक अभिलेखों के आधार पर पूरा नाम (अंग्रेजी के CAPITAL LETTERS में) लिखा जाना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट – I

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

1 महाविद्यालय/संस्था का नाम :

(i) (हिन्दी में).....

.....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

.....

.....

आवेदन शुल्क का विवरण

1. बैंक ड्राफ्ट संख्या

2. दिनांक

3. बैंक का नाम

4. धनराशि

2 समिति/ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या एवं
वैधता तिथि :

3 महाविद्यालय/संस्था का स्थापना वर्ष :

4 महाविद्यालय/संस्था का स्तर एवं स्थापना का उद्देश्य :

5 पत्राचार का पूरा पता पिन कोड सहित :

(i) (हिन्दी में)

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

6 विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय/संस्था सम्बद्ध हो :

(कुलाधिपति/शासन द्वारा निर्गत पत्र की फोटो कापी संलग्न की जाय)

7 महाविद्यालय/संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम :

1	सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं०	
4	मोबाइल नं०	
5	ई-मेल	

8 महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य का नाम :

1	प्राचार्य का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं०	
4	मोबाइल नं०	
5	ई-मेल	

9 प्रस्तावित समन्वयक का नाम, पदनाम, विभाग, दूरभाष एवं मोबाइल नं. :

1	समन्वयक का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	दूरभाष संख्या	
5	ई-मेल	
6	मोबाइल नं.	

10 अध्ययन केन्द्र कार्यालय तथा समन्वयक कक्ष के लिए क्या महाविद्यालय/संस्था में स्थान उपलब्ध है ? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाय और भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय:

क्र.सं.	नाम	संख्या
1	कार्यालय	
2	पुस्तकालय	
3	प्रयोगशाला	
4	कक्षाकक्ष	
5	अध्यापक कक्ष	

11 महाविद्यालय/संस्था के निकटतम :

क्र.सं.	स्थान का नाम	दूरी कि.मी. में
1	रेलवे स्टेशन का नाम एवं दूरी	
2	बस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
3	पुलिस स्टेशन का नाम एवं दूरी	
4	डाकघर का नाम एवं दूरी	

12 अगर महाविद्यालय अथवा संस्था के कुछ विभाग स्ववित्तपोषित हैं तो इंगित किया जाय :

.....

13 महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित	क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

14 यू०जी०सी० के पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) :- “ No university, whether central, state, private or deemed, can offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institution even for the purpose of conducting courses through distance mode.” के अनुपालनार्थ 20/- रुपये (बीस रुपये) के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप पर शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग नहीं प्रदान की जाती (संलग्नक संख्या—01)।

15 अगर महाविद्यालय/संस्था किसी विश्वविद्यालय का पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	
2.	

16 विषय एवं योग्यता सहित शिक्षकों की सूची (शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जाय) :

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	अध्यापन विषय	शिक्षक की नियुक्ति वर्ष	योग्यता
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोट :- शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर सूची अलग से संलग्न करें।

17 पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (विषयवार पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की संख्या भी दी जाय) :

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	पुस्तकों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

8		
9		
10		

18 कम्प्यूटर की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (कम्प्यूटर लैब की आकार, कम्प्यूटर व प्रिन्टर आदि की संख्या इत्यादि) :

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	कम्प्यूटर	
2	प्रिण्टर	
3	स्कैनर	

19 महाविद्यालय/संस्था में उपलब्ध इंटरनेट/ब्रॉड बैन्ड कनेक्शन और जेनरेटर की सुविधा का विवरण :

क्र.सं.	नाम	विवरण
1	इंटरनेट/ब्रॉड बैन्ड कनेक्शन का नाम एवं नम्बर	
2	जेनरेटर की क्षमता तथा संख्या	

20 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी महाविद्यालय अथवा संस्था की प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव।

(संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नीचे करें तथा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।).....

यू०पी०आर०टी०ओ०य० के उन कार्यक्रमों का नाम जो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र पर संचालन हेतु वांछित है (प्रत्येक वांछित कार्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड के अनुसार हो) :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम/कार्यक्रम कोड
1	
2	
3	
4	

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम/कार्यक्रम कोड
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

21 अन्य प्रासंगिक सूचना :

22 संलग्नकों की सूची :

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

हस्ताक्षर प्राचार्य

हस्ताक्षर प्रबन्धक/निदेशक

दिनांक :

नोट :-

- 1 सभी प्रविष्टियों की पूर्ण स्पष्ट और सही—सही जानकारी देना आवश्यक है तथा आवेदन—पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राचार्य/निदेशक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- 2 अपूर्ण आवेदन—पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
एक बार निरस्त किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है।
- 3 सूचना की पुष्टि हेतु मांगे गये संलग्नकों को नत्थी करना जरूरी है।
- 4 वांछित कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण विवरण अलग से संलग्न किया जाये।

- 5 महाविद्यालय/संस्था का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण—पत्र और उसके संविधान की एक प्रति संलग्न की जाये।
- 6 स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का रु 3,000/- और अन्य संस्थानों को रु. 15,000/- आवेदन/पंजीकरण शुल्क आवेदन—पत्र के साथ जमा करना होगा।
- 7 आवेदन—पत्र के क्रम संख्या 14 से सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राइवेट कॉर्चिंग संचालन न किये जाने का शपथ—पत्र (**संलग्न प्रारूप पर**) रु. 20/- के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाये।
- 8 मानक एवं मापदण्ड के क्रमांक पाँच में उल्लिखित संस्थाओं को रु 20,000/- जमानत राशि बैंक ड्रापट के रूप में अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा करनी होगी।
- 9 बैंक ड्रापट “वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नाम व इलाहाबाद में देय होना चाहिए।
- 10 अध्ययन केन्द्र आवंटित करना या नहीं करने का निर्णय पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय के विवेकाधीन है।
- 11 मान्यता प्रदान करने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र का कभी भी निरीक्षण कराया जा सकता है एवं निरीक्षण के दौरान मानकों की पूर्ति न होने पर अध्ययन केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 12 विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था (अध्ययन केन्द्र) के बीच अनुबन्ध—पत्र (**MoU**) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

शपथ—पत्र का प्रारूप

शपथ—पत्र

समक्ष — कुलसचिव,
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

शपथ पूर्वक कहना है कि महाविद्यालय/संस्था विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक संस्था है जिसमें उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय/संस्था में पठन—पाठन हेतु किसी भी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग अथवा ट्यूशन का संचालन नहीं होता है और न ही भविष्य में किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा भविष्य में प्राइवेट कोचिंग (Private Coaching) अथवा ट्यूशन (Tuition) के संचालन सम्बन्धी प्रमाणिक सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

**प्रबन्धक
प्राचार्य/निदेशक**

नोट : उपरोक्त शपथ—पत्र रु. 20/- (बीस रुपये) के नानजूड़ीशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर आवेदन—पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टपड़न मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
परिशिष्ट - II

II - ~~प्राणिश~~

二
四

प्रयोगात्मक कार्यक्रम का विवरण

माह..... नाम कोस सत्र क्रमांक / सम्पर्क केन्द्र का अध्ययन

परिशिष्ट – III

वाउचर संख्या दिनांक

सत्रांत कार्य हेतु (Terminal Exam) / अधिन्यास मूल्यांकन हेतु बजट मद

मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद देयक पत्रक

सत्र

निर्माणकर्ता / परीक्षक का नाम

पद संस्था का नाम

(यदि अवकाश प्राप्त है, तो पूर्व पद एवं संस्था का नाम

पूर्ण पता

कोर्स का नाम / विषय तथा प्रश्न- पत्र	प्रश्न-पत्रों की संख्या	प्रश्न-पत्र तैयार करने का पारिश्रमिक राशि	उत्तर पुस्तिकार्डों के मूल्यांकन का पारिश्रमिक		मौखिकीय प्रायोगिक के परीक्षा का पारिश्रमिक		योग
			विवरण राशि	विवरण	राशि		
			रु0	पै0	रु0	पै0	
प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षक से प्रश्न-पत्र/अंक पत्र एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो गई है और इस कार्य के लिए यह उनका प्रथम देयक प्रपत्र है। रु0 के लिए देयक पारित किया गया तथा रजिस्टर के क्रमांक पर अंकित किया गया।				परीक्षक द्वारा व्यय (1) अंकचिट में (2) अधिन्यास / उत्तर पुस्तिका भेजने में (3)			
सम्बन्धित सहायक का हस्ताक्षर कुलसचिव के हस्ताक्षर		परीक्षा नियंत्रक /				कुल योग	
परीक्षणोपरांत रु0 भुगतान पारित किया जा सकता है। सम्बन्धित सहायक के हस्ताक्षर					परीक्षक का हस्ताक्षर		
रु0 के लिए पारित।					रु0 का भुगतान किया जाय		
कटौतियों का विवरण					वित अधिकारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद		
आयकर							
शिक्षक कल्याण कोष							
कुल योग.....							
लेखा अधिकारी							
रु0..... का भुगतान प्राप्त किया					यदि भुगतान की राशि 500.00 रु0 से अधिक हो तो कृपया यहाँ 1.00रु रसीदी टिकट चिपकाएँ		
चेक संख्या		दिनांक			परीक्षक का हस्ताक्षर		
दिनांक		201			द्वारा भुगतान किया गया।		
हस्ताक्षर.....							

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद पारिश्रमिक की दरें

1. प्रश्न—पत्र बनाना (पेपर सेटिंग) अधिन्यास	अनुमन्य दर
<u>सहित</u>	
1. स्नातक / स्नातक स्तर के डिप्लोमा	रु. 400/- प्रति प्रश्न—पत्र
2. स्नातकोत्तर / स्नातकोत्तर डिप्लोमा	रु. 600/- प्रति प्रश्न—पत्र
2. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	
1. स्नातक / स्नातक स्तर के डिप्लोमा	रु. 10/- प्रति उत्तर पुस्तिका
2. स्नातकोत्तर / स्नातकोत्तर डिप्लोमा	रु. 12/- प्रति उत्तर पुस्तिका
3. अधिन्यास का मूल्यांकन	
1. स्नातक / स्नातक स्तर के डिप्लोमा	रु. 10/- प्रति अधिन्यास
2. स्नातकोत्तर / स्नातकोत्तर डिप्लोमा	रु. 15/- प्रति अधिन्यास
4. प्रयोगिक परीक्षा/मौखिक परीक्षा	
1. स्नातक	रु. 8/- प्रति छात्र न्यूनतम रु.
2. स्नातकोत्तर	300/-
	रु. 12/- प्रति छात्र न्यूनतम
	रु. 400/-
5. परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य	
1. उपाधि लेखन	रु. 01/- प्रति उपाधि
2. उपाधि मिलान	50 पैसा प्रति उपाधि दो व्यक्ति
3. अंक—पत्र मिलान	90 पैसा प्रति अंक—पत्र
(i) अंक—पत्र मिलान	80 पैसा प्रति अंक—पत्र दो व्यक्ति
(ii) अंक—पत्र प्रेषण कार्य	30 पैसा प्रति अंक—पत्र जिसमें से 5 पैसा प्रति अंक—पत्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है।
4. सारणीयन	रु. 75/- प्रति 100 छात्र का परीक्षाफल
5. कोलेसन	रु. 30/- प्रति 100 छात्र का परीक्षाफल
	नोट: कम्प्यूटर से कार्य करने पर 50% कम भुगतान किया जायेगा।
6. माडरेशन	रु. 100.00 प्रति प्रश्न—पत्र

परिशिष्ट – IV

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश राजसी^{र्व} टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

(Assignment Receipt) अधिन्यास प्राप्ति रसीद

सत्र _____ कार्यक्रम का नाम _____

अध्ययन केन्द्र का नाम _____

शिक्षार्थी का नाम _____

नामांकन सं० _____

कार्यक्रम का नाम _____

कोर्स कोड 1. _____ 6. _____

2. _____ 7. _____

3. _____ 8. _____

4. _____ 9. _____

5. _____ 10. _____

कुल अधिन्यास

पुस्तिकाओं की संख्या

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

मोहर

दिनांक

परिचय - V

उत्तर प्रदेश राजस्व टप्पडन मुक्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अद्यतान / ग्रामक फॉर्म नाम

۱۷۴

कौन्सलिंग व्यय का विवरण

परिशिष्ट-IV
अधिन्यास पुस्तिका का वाह्य पृष्ठ प्रारूप

जमा करने की तिथि

रसीद नं0

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र –

कार्यक्रम कोड प्रश्न पत्र कोड

नामांकन सं. प्रथम प्रवेश सत्र

नाम

पिता/पति/माता का नाम

अधिन्यास क्रमांक (यदि लागू हो)

संक्षिप्त नियम :

- निर्धारित तिथि तक अपना अधिन्यास जमा कर दें उसके पश्चात अधिन्यास स्वीकर नहीं किये जायेंगे।
- अधिन्यास निर्धारित प्रारूप की 24 पृष्ठीय पुस्तिका पर ही प्रस्तुत करना होगा। कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने की अनुमति नहीं है।
- अधिन्यास के अभाव में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
- सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वयं की भाषा शैली में लिखे और पुस्तक की पाठ्य सामग्री, प्रकाशित रचना से लिखित उत्तर, अनुचित साधन में माना जायेगा।

परीक्षक द्वारा सामान्य टिप्पणी
.....
.....
.....

नोट: परीक्षक कृपया प्रश्नगत विस्तृत टिप्पणी अन्दर प्रत्येक प्रश्न के साथ अवश्य दें।

अधिन्यास अंक (Maximum Marks)

प्रश्न संख्या Q.No.	खण्ड Section				योग Total
	'अ' (A)	'ब' (B)	'स' (C)	'द' (D)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

कुल योग (अंकों में)
Total Marks (in figure)

कुल योग (शब्दों में)
Total Marks (in words)

परीक्षक के हस्ताक्षर
तिथि

नोट: 1. इस अधिन्यास पुस्तिका को विश्वविद्यालय से अंकपत्र प्राप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।
2. कृपया ध्यान दें कि अधिन्यास समय से जमा न होने पर परीक्षा में नहीं बैठ पायेंगे।

परिशिष्ट-IV
अधिन्यास पुस्तिका का वाह्य पृष्ठ प्रारूप

जमा करने की तिथि

रसीद नं0

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र –

कार्यक्रम कोड प्रश्न पत्र कोड

नामांकन सं. प्रथम प्रवेश सत्र

नाम

पिता/पति/माता का नाम

आधिन्यास क्रमांक (यदि लागू हो)

संक्षिप्त नियम :

- निर्धारित तिथि तक अपना अधिन्यास जमा कर दें उसके पश्चात अधिन्यास स्वीकर नहीं किये जायेंगे।
- अधिन्यास निर्धारित प्रारूप की 24 पृष्ठीय पुस्तिका पर ही प्रस्तुत करना होगा। कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने की अनुमति नहीं है।
- अधिन्यास के अभाव में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
- सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वयं की भाषा शैली में लिखे और पुस्तक की पाठ्य सामग्री, प्रकाशित रचना से लिखित उत्तर, अनुचित साधन में माना जायेगा।

परीक्षक द्वारा सामान्य टिप्पणी
.....
.....
.....

नोट: परीक्षक कृपया प्रश्नगत विस्तृत टिप्पणी अन्दर प्रत्येक प्रश्न के साथ अवश्य दें।

अधिन्यास अंक (Maximum Marks)

प्रश्न संख्या Q.No.	खण्ड Section				योग Total
	'अ' (A)	'ब' (B)	'स' (C)	'द' (D)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

कुल योग (अंकों में)
Total Marks (in figure)

कुल योग (शब्दों में)
Total Marks (in words)

परीक्षक के हस्ताक्षर
तिथि

नोट: 1. इस अधिन्यास पुस्तिका को विश्वविद्यालय से अंकपत्र प्राप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।
2. कृपया ध्यान दें कि अधिन्यास समय से जमा न होने पर परीक्षा में नहीं बैठ पायेंगे।



उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

॥ गरवती नः दुष्प्रा वयस्तात् ॥

विश्वविद्यालय के निदेशक / प्रभारी निदेशक

1. प्रो० ओम जी गुप्ता	निदेशक (प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा)	7525048004
2. प्रो० पी०पी० दुबे	निदेशक (कृषि विज्ञान विद्याशाखा)	7525048005
3. प्रो० आर०पी०एस० यादव	निदेशक (मानविकी विद्याशाखा)	7525048021
4. प्रो० आशुतोष गुप्ता	निदेशक (विज्ञान विद्याशाखा)	7525048002
5. प्रो० पी०क० पाण्डेय	निदेशक (शिक्षा विद्याशाखा)	7525048011
6. प्रो० जी०एस० शुक्ल	निदेशक (स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा)	7525048001
7. प्रो० सुधांशु त्रिपाठी	निदेशक (समाज विज्ञान विद्याशाखा)	7525048003

विश्वविद्यालय के सम्पर्क सूचना

कूल सचिव कार्यालय	0532-2447035, 0532-2447036 (फैक्स), 7525048071
वित्त अधिकारी कार्यालय	0532-2447042, 7525048061, 7525048062, 7525048039, 7525048103, 7525048129
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय	7525048009, 7525048023, 7525048016, 7525048102, 7525048092, 7525048094, 7525048095, 7525048110
सूचना एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ	7525048051, 7525048029
प्रवेश अनुभाग	7525048021, 7525048072, 7525048104, 7525048106
पाठ्य सामग्री अनुभाग	0532-2548326 (फैक्स), 7525048032, 7525048013, 7525048066, 7525048067
परामर्श प्रकोष्ठ	7525048002, 7525048014, 7525048149, 7525048043, 7525048079
शोध अनुभाग	7525048011, 7525048028
विश्वविद्यालय वेबसाइट	www.uprtou.ac.in
विश्वविद्यालय ई-मेल	registrar.uprtou@gmail.com mailto:uprtou@yahoo.co.in
टोल फ्री नम्बर	1800-120-111-333

क्षेत्रीय केन्द्र / क्षेत्रीय निदेशक / पता

क्र० सं०	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय निदेशक का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का पता एवं दूरभाष नम्बर
1.	इलाहाबाद	डॉ. अभिषेक सिंह	यमुना परिसर, सेक्टर-बी, मातादीन का पुरा के बगल में, निकट कांशीराम आवास योजना, शान्तिपुरम, इलाहाबाद-211021, मो.-7525048030, 7525048124
2.	वाराणसी	डॉ. सी.के. सिंह	D-59/32, सिगरा, RS महमूर गंज, वाराणसी-221010, दूरभाष-0542-2360180, मो. - 7525048044, 7525048093
3.	गोरखपुर	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	नहर रोड, मकान नं. 549 मोहददीपुर, (पावर हाउस वाली गली), गोरखपुर-273001, फोन-0551-2200330, मो.-7525048040 7525048126
4.	लखनऊ	डॉ. नीरांजलि सिन्हा	सी-36, कम्बा नेहरू नगर, निकट श्री हंसभविता धाम, रिंग रोड, लखनऊ-226022 फोन-0522-2333764, 7525048020 7525048019
5.	बरेली	डॉ. आर.बी. सिंह	147-ए, सिविल लाइन्स, सक्रिट हाउस चौराहा, इलाहाबाद बैंक के सामने, बरेली-243008, फोन-0581-2510627, 2567610 (फैक्स), 7525048025
6.	मेरठ	डॉ. पूनम गर्म	इस्माइल नेशनल महिला पी.जी. कालेज, बुदाना, गेट, मेरठ, (उ.प्र.)-250002, मो. - 9412207923
7.	आगरा	डॉ. सुचिता चतुर्वेदी	H.No.-8 आवास विकास कालोनी, सेक्टर-15-बी, नियर पानी की टंकी, बदला, आगरा-282007, मो. - 7525048045
8.	नोएडा / गाजियाबाद	डॉ. कविता त्यागी	प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान, सी-56/20 सेक्टर-62 नोएडा, फोन-0120-4127672, मो. -7678617629
9.	झांसी	डॉ. रेखा त्रिपाठी	D17-M2 वीरांगना नगर, पिछौर, झांसी-284128, फोन-7525048147
10.	कानपुर	डॉ. अलका वर्मा	1318 F, W-2, जूही कला, दामोदर नगर, कानपुर-208027, मो. - 7525048145, 7525048143, 7525048036
11.	फैजाबाद	डॉ. शशि भूषण राम त्रिपाठी	बी.एन.एस. गल्स डिग्री कालेज, बाईपास परिक्रमा मार्ग, जनोरा, फैजाबाद, मो.- 9452063609, 7525048015



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा संचालित

एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की सूची

University Grants Commission Distance Education Bureau

List of UGC approved Programmes offered by UPRTOU, Allahabad

Name of Programme (Annual)	Name of Programmes (Semester)
→ Master of Arts (Education, Political Science, History, Social Work, Sociology, Statistics, Philosophy, Hindi, Economics, Sanskrit & English)	→ Master of Library and Information Science (MLIS)
→ Master of Science (Biochemistry & Statistics)	→ Master of Journalism (MJ)
→ Master of Commerce (M.Com)	→ Master of Computer Science (M.Sc.-CS)
→ Bachelor of Arts (Education, Political Science, History, Sociology, Public Administration, Urdu, Hindi, Economics, English, Philosophy, Sanskrit, Textile Designing, Fashion Designing, Mathematics & Statistics)	→ Bachelor of Computer Application (BCA)
→ Bachelor of Arts in Tourism (BTS)	→ Bachelor of Business Administration (BBA)
→ Bachelor of Science (B.Sc.) (Botany, Zoology, Chemistry, Maths, Physics, Bio-Chemistry, Computer Science, Statistics)	→ Bachelor of library and Information Science (BLIS)
→ Bachelor of Commerce (B.Com)	→ Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication (PGDJMC)
→ Post Graduate Diploma in Translation (PGDT)	→ Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM)
→ Post Graduate Diploma in Creative Writing in Hindi (PGDCWH)	→ Post Graduate Diploma in International Marketing and E-Business (PGDIMB)
→ Post Graduate Diploma in Educational Administration (PGDEA)	→ Post Graduate Diploma in Marketing Management (PGDMM)
→ Post Graduate Diploma in Environment and Sustainable Development (PGD-ESD)	→ Post Graduate Diploma in Production Management (PGDPM)
→ Post Graduate Diploma in Electronic Media Management and Film Production (PGDEM&FP)	→ Post Graduate Diploma in Human Resource Development (PGDHRD)
→ Post Graduate Diploma in Vocational Guidance and Career Counselling (PGDVGCC)	→ Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)
→ Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE)	→ Post Graduate Diploma in Agriculture Extension (PGDAE)
→ Post Graduate Diploma in Functional Hindi (PGDFH)	→ Post Graduate Diploma in Yoga (PGDYO)
→ Post Graduate Diploma in Rural Journalism and Mass Communication (PGDRJMC)	→ Post Graduate Diploma in Remote Sensing (PGDRS)
→ Post Graduate Diploma in Green Social Work (PGDGSW)	→ Diploma in Yoga (DYS)
→ Post Graduate Diploma in Bio Statistics and Demography (PGDBSD)	→ Diploma in Web Technology (DWT)
→ Post Graduate Diploma in Bio-Statistics and Population Studies (PGDBSPS)	→ Diploma in Hospitality and Hotel Management (DHMH)
→ Post Graduate Diploma in Dietetics and Therapeutic Nutrition (PGDDTN)	→ Diploma in Dairy Technology (DDT)
→ Post Graduate Diploma in Hospital and Public Health Management (PGDHMH)	→ Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables (DVAPFV)
→ Post Graduate Diploma in Spiritual Tourism (PGDST)	→ Diploma in Agriculture (DAG)
→ Post Graduate Diploma in Food Safety and Nutritional Quality Management (PGDFSQM)	→ Diploma in Agri-business Management (DABM)
→ Diploma in Health Education and Nutrition (DHEN)	→ Diploma in Watershed Management (DWM)
→ Diploma in Rural Development (DRD)	→ Certificate in Post Harvest Technology and Value Addition (CPHT&VA)
→ Diploma in Dietetics and Nutrition (DCDN)	→ Certificate in Cultivation of Medicinal and Aromatic plants (CCMAP)
→ Diploma in Early Childhood Care and Education (DECE)	→ Certificate in Live Stock Production System (CLPS)
→ Diploma in Fashion Designing (DFD)	→ Certificate in Child Care and Nutrition (CCCN)
→ Diploma in Textile Designing (DTD)	→ Certificate in Nutrition and Food (CNF)
→ Diploma in Photography (DIP)	→ Certificate in Human Rights (CHR)
→ Diploma in Home Arts (DHA)	→ Certificate in Environmental Studies (CES)
→ Diploma in Applied Statistics and Computer (DASC)	→ Certificate in Women Empowerment and Development (CWED)
→ Diploma in Jewelry Designing (DJD)	→ Certificate in Course in Yoga (CCY)
→ Diploma in Paper Craft (DPC)	→ Certificate in Carpet and Textile Technology (CCTT)
→ Diploma in Urdu (DUR)	→ Certificate in Applied Criminology (CAC)
→ Diploma in Urdu Journalism & Mass Communication (DUJMC)	→ Certificate in Fashion Designing (CFD)
→ Diploma in Urdu News Reading and Anchoring (DUNRA)	→ Certificate in Textile Designing (CTD)
→ Two Years Certificate Course in Single Subject (Arts & Sciences)	→ Certificate in Rural Journalism and Mass Communication (CRJMC)
Programmes Based on Entrance Admission	
	→ Master of Computer Application (MCA)
	→ Master of Business Administration (MBA)
	→ Bachelor of Education (B.Ed.)
	→ Bachelor of Education (Special Education) [B.Ed. (SE)]